

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 135/2024  
&  
ORIGINAL APPLICATION NO. 267/2024

IN THE MATTER OF:

KHUSBU SINGH

.....APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

.....RESPONDENT

INDEX

<u>S. NO.</u>	<u>PARTICULARS</u>	<u>PAGE NO.</u>
1.	Affidavit of District Magistrate Mirzapur in compliance of order dated 24.10.2024 passed by this Hon'ble Tribunal.	
2.	<b><u>Annexure – R 1</u></b> A copy of E- tender advertised dated 04.12.2020,	
3.	<b><u>Annexure – R 2</u></b> A copy of E- tender advertised dated 27.04.2022	
4.	<b><u>Annexure – R 3 (Colly.)</u></b> A copy of letter no. 2018/15-1 dated 14.12.2023 issued by Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj and	

	copy of the Government Order dated 17.03.2020 along with Letter dated 23.06.2020	
5.	<b><u>Annexure – R 4 (Colly.)</u></b> A copy of Letter of Intent dated 02.02.2021 issued by the then District Magistrate, Mirzapur, Environmental Clearance Certificate dated 05.12.2022 issued by SEIAA UP and a copy of Consent to Operate dated 29.12.2022 issued by UPPCB	
6.	<b><u>Annexure – R 5</u></b> A copy of No Objection Certificate dated 22.11.2017 issued by the Divisional Forest Officer Mirzapur	
7.	<b><u>Annexure- R 6</u></b> A copy of report submitted by E.R.K (English Record Keeper) Collectrate Mirzapur Dated 07.11.2024	
8.	<b><u>Annexure- R 7</u></b> A copy of Office Order No. 7467/MMC-30/Mineral/2023-24 dated 01.01.2024 prohibiting mining and transportation of ordinary sand within the Eco-Sensitive Zone	

*Ankit Verma* FILED BY:

(ANKIT VERMA)  
STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.  
A-15 FF, NIZAMUDDIN EAST  
NEW DELHI-110013.  
MOB :- 09990804440  
[ankit.scnqtup@gmail.com](mailto:ankit.scnqtup@gmail.com)

Dated: 18 . 11 .2024

546

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

Rs.20



TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

43AA 819721

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 135/2024  
&  
ORIGINAL APPLICATION NO. 267/2024

IN THE MATTER OF:

KHUSBU SINGH

.....APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

.....RESPONDENT



R

547

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 135/2024  
&  
ORIGINAL APPLICATION NO. 267/2024

**IN THE MATTER OF:**

KHUSBU SINGH

.... APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.


.... RESPONDENT

**AFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE MIRZAPUR IN  
COMPLIANCE OF ORDER DATED 24.10.2024 PASSED BY  
THIS HON'BLE TRIBUNAL**

I PRIYANKA NIRANJAN aged 40 years, posted as District Magistrate Mirzapur, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I am duly authorized to file the present affidavit. The deponent is well conversant with the facts and circumstances of the instant case and is competent to swear this affidavit.
2. That this Hon'ble Tribunal, vide order dated 24.10.2024, was pleased to issue the following directions:

***"1. We do not find any explanation from record from responses submitted by concerned District Magistrates and UPPCB as to how in what circumstances mining permissions were granted or consent/clearances were issued for carrying out mining activities in such prohibited areas.***



*AD*



**2. In these circumstances, we direct Member Secretary, UPPCB and SEIAA, UP to explain as to how and is what circumstances, consent and clearances were issued for permitting mining activities in prohibited areas and that too in violation of directions issued by Supreme Court. Similar reply shall also be submitted by concerned District Magistrates, Sant Ravidas Nagar (Bhadhoi), Mirzapur and Prayagraj.**


**3. If no valid justification is submitted, Member Secretary, UPPCB, Member Secretary, SEIAA, District Magistrate, Sant Rvidas Nagar (Bhadhoi), District Magistrate, Mirzapur and District Magistrate, Prayagraj shall remain present before Tribunal on the next date.**

**4. List for further consideration on 20.11.2024."**

3. That the present affidavit is being filed in compliance of the order dated 24.10.2024 passed by this Hon'ble Tribunal.

4. That the deponent is posted as District Magistrate, Mirzapur, since 02-09-2023

5. That in District Mirzapur an e-tender dated 04-12-2020 was advertised for inviting bids from 05.01.2021 to 08.01.2021 for grant of mining lease for two available ordinary sand mining areas along the River Ganga. The highest bid was submitted by Mr. Prashant Maurya for Arazi No. 03 Mi/3 (5.00 hectares) in Tehsil Sadar, Mirzapur District, with an estimated mining capacity of 100,000 cubic meters of ordinary sand per year in Village Gogaon. Following the Government Order dated 09.10.2019 and the committee's recommendation on 22.01.2021, the lessee was required to obtain a mining plan and environmental clearance under the provisions of the Ministry of Environment and Forests notifications dated 14.09.2006 and 15.01.2016, as amended. A copy of e-



*mbh.* *af*

tender dated 04-12-2020 which was advertised is being annexed herewith as **Annexure- R 1.**

6. That in District Mirzapur another e-tender dated 27.04.2022 was advertised for inviting bid from 31.05.2022 to 03.06.2022 for Grant of Mining Lease for Arazi No. 03 Mi/4 (5.00 hectares) available ordinary sand mining areas along the River Ganga. The highest bid was submitted by Vijay Kumar Singh for Arazi No. 03 Mi/4 (5.00 hectares) in Tehsil Sadar, Mirzapur District, with an estimated mining capacity of 100,000 cubic meters of ordinary sand per year in Village Gogaon, Following the Government Order dated 09.10.2019 and the committee's recommendation on 14.06.2022, the lessee was required to obtain a mining plan and environmental clearance under the provisions of the Ministry of Environment and Forests notifications dated 14.09.2006 and 15.01.2016, as amended. A copy of e- tender dated 27.04.2022 which was advertised is being annexed herewith as **Annexure- R 2.**

7. That it is germane to mention that under Rule 34 of the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 1963, the mining plan must be presented to the Director, Geology and Mining for approval within one month of the issuance of the Letter of Intent. Thereafter, an application for the Environmental Clearance Certificate is to be submitted to the competent authority within a period of 15 days of receiving the approved mining plan.

8. That it is respectfully submitted that the Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj, by his letter no. 2018/15-1 dated 14.12.2023, informed about the Government Order No. 346/81-4-2020-823/2008 TC Lucknow, dated 17.03.2020. along with Letter No. 502/81-4-2020 dated



*[Handwritten signatures]*

23.06.2020, which prohibited the issuance of new mining leases for ordinary sand within a 30-kilometer stretch along both banks of the River Ganga which was demarcated as the Turtle Wildlife Sanctuary, as well as within an additional 10 kilometers beyond its boundary, demarcated as an Eco-Sensitive Zone. This prohibition applied specifically to areas within the villages of Mishrapur, Nagwasi, Basevarakalan, Khaira, Gogaon, Behra, DeoriMugaura, Kashi Sarpati, BhaurupurSatlapatti, Basevara Khurd, BajtaArjikhhera, Chakchehra, and Chakkoun, located in Tehsil Sadar, Mirzapur District, which are located on border the Ganga River. A copy of the letter no. 2018/15-1 dated 14.12.2023 issued by Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj Government order dated 17.03.2020 along with Letter dated 23.06.2020 are collectively being annexed herewith as

**Annexure- R 3 (Colly.)**

9. That the aforesaid Government Order further stipulated that immediate steps should be taken to revoke the previously granted sand mining leases in the areas, which fall within the Turtle Wildlife Sanctuary, in order to uphold the provisions of the Wildlife Protection Act and the orders of the Hon'ble Supreme Court.

10. That it was only when an application was preferred by Mr. Prashant Maurya before the then District Magistrate, a Letter of Intent was issued by the then District Magistrate on 02.02.2021, and the Environmental Clearance Certificate was issued on 02.12.2022 by State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA UP). Following the issuance of the Consent to Operate (CTO) on 29.12.2022 by the UPPCB, the proceedings for the execution of the lease agreement were completed. However, upon receipt of a directive from the Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj,



*(Handwritten signatures)*

dated 14.12.2023, regarding the Government Order dated 23.06.2020, an order to cancel the mining lease was subsequently issued on 01.01.2024. A copy of Letter of Intent dated 02.02.2021 issued by the then District Magistrate, Mirzapur, Environmental Clearance Certificate dated 05.12.2022 issued by SEIAA UP and a copy of Consent to Operate dated 29.12.2022 issued by UPPCB are collectively being annexed herewith as **Annexure – R4(Colly.)**

11. That it is also pertinent to mention that prior to initiating the process for leasing two vacant mining areas in District-Mirzapur on *parihar*, a No Objection Certificate was also issued by the Divisional Forest Officer, Mirzapur Forest Division, on 22.11.2017. A copy of No Objection Certificate issued by the Divisional Forest Officer dated 22.11.2017 is being annexed herewith as **Annexure – R 5.**

12. That it is pertinent to mention that after issuance of No Objection Certificate dated 22.11.2017 by the Divisional Forest Officer, Mirzapur Forest Division, the Government of Uttar Pradesh Environment, Forest, and Climate Change, Department vide its Order No. 346/81-4-2020-823/2008 TC Lucknow, issued a directive under sub-section (1) of Section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, on 17.03.2020. Additionally, a copy of Letter No. 502/81-4-2020 dated 23.06.2020 was also issued. However, neither the government order dated 17.03.2020 nor the letter dated 23.06.2020 were found to have been received in the office of the deponent at the time the Letter of Intent was issued by the then District Magistrate, resulting in the grant of the mining leases. A copy of report submitted by E.R.K (English Record Keeper) Collectrate Mirzapur Dated 07.11.2024 is Being Annexed here With as **Annexure- R 6.**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

13. That upon receiving notice of the matter, the Office of deponent issued an Office Order No. 7467/MMC-30/Mineral/2023-24 dated 01.01.2024 was issued, prohibiting mining and transportation of ordinary sand within the Eco-Sensitive Zone. All mining areas which were advertised, approved, or operational were subsequently cancelled on 01.01.2024. After adjusting any outstanding dues against the security deposit associated with the lease, orders were issued on 20.01.2024 and 29.05.2024 to refund the remaining amount in accordance with applicable rules. A copy of Office Order No. 7467/MMC-30/Mineral/2023-24 dated 01.01.2024 was issued, prohibiting mining and transportation of ordinary sand within the Eco-Sensitive Zone. **Annexure R-7**

14. That upon receiving the information through letter no. 2018 dated 14.12.2023 from the Office of the Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj, regarding the Government Orders dated 17.03.2020 and 23.06.2020, declaring a 30-kilometer stretch along both banks of the River Ganga for the conservation of turtles and other aquatic life, leases granted in consideration of the No Objection Certificate issued earlier by the Forest Department on 22.11.2017, an order was issued by the office of the deponent, For all mining areas which were advertised approved, or operational were subsequently cancelled on 01.01.2024.



15. That at the time of approving the mining lease, neither the Ordinary Gazette notification dated 17.03.2020 nor the government letter dated 23.06.2020 were available in the official records. Consequently, the then District Magistrate proceeded with the lease approval for a term of five years, effective from 15.12.2022 to 14.12.2027. Upon receiving communication, Office Order No. 7467/MMC-30/Mineral/

*mtk* *q*

2023-24 dated 01.01.2024 was issued, formally prohibiting the mining and transportation of ordinary sand within the 30-kilometer area along both banks of the Ganga River and within the additional 10-kilometer Eco-Sensitive Zone surrounding the Turtle Wildlife Sanctuary. This prohibition was thereby extended to all mining areas that had been advertised, approved, or were in operation, and such permissions were ordered to be rescinded within these protected zones.

16. That the deponent respectfully undertakes before this Hon'ble Tribunal to fully comply with all the directions issued by this Hon'ble Tribunal and affirms her duty to ensure that environmental safeguards are adhered to in both letter and spirit.

*[Handwritten signature]*

**DEPONENT**

**VERIFICATION**

Verified at....., on ..... that the contents of the paras 1 to 16 of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

*[Handwritten signature]*

Solemnly affirmed before me by *Smt. Priyanka Mishra*  
Deponent who identified by Sri, *P.M.*  
Clerk of..... Advocate on.....  
I have satisfied myself by examining the  
Deponent that he/she understands the  
contents of the affidavit and the contents  
read over and explained by me, Serial  
No. *1811* Time *11:20* Received By *[Signature]*

**DEPONENT**



554

## कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर

(खनिज अनुभाग)

दिनांक: 4/12/2020

पत्रांक: 1252/खनिज/ई-निविदा सह ई-नीलामी/बालू/2020

## ई-निविदा सह ई-नीलामी आमन्त्रण हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद मीरजापुर में प्रवाहित नदी के तल में बालू/मौरम के निम्न विवरण के अनुसार रिक्त खनन क्षेत्रों को उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली 1963 के नियम-23 के उप नियम-(1) के प्राविधानों के अन्तर्गत उपलब्ध घोषित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) (सेतालिसाँ संशोधन) नियमावली 2019 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग के निर्गत शासनादेश संख्या-2168/86-2019-57(सा०)/2017 टी.सी.1 दिनांक 09/10/2019 में दिये गये निर्देशानुसार उक्त नियमावली-1963 के अध्याय-4 के प्राविधानों के अन्तर्गत ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से खनन पट्टे पर स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नलिखित क्षेत्र उपलब्ध है :-

## 1. क्षेत्र का विवरण

क्र० सं०	क्षेत्र का विवरण					Latitude (N)	Longitude (E)	नियमावली 1963 के अनुसूची के अनुसार रायल्टी दर (₹० प्रति घनमीटर)	खनन योग्य आंकलित उप खनिज का भण्डार (घनमी० प्रतिवर्ष)	प्रथम वर्ष में अधिकतम मजदारी की कुल रायल्टी रूपको म०। (कालम 10 में अंकित प्रतिवर्ष को कालम 9 में अंकित रायल्टी से गुणा करने पर उपलब्ध सकल घनराशि)	अर्नेस्ट मनी (कालम 11 में अंकित सकल घनराशि का 25 प्रतिशत)
	नदी का नाम	तहसील	ग्राम	गाटा सं०/खण्ड सं०/जोन सं०	क्षेत्रफल (ह० में)						
1.	गंगा	सदर	गागाव	03मि/2	5.00	A-25°13'08.3" B-25°13'03.5" C-25°12'58.4" D-25°13'02.4"	A-82°15'08.5" B-82°15'13.7" C-82°15'07.5" D-82°15'01.2"	65/-	100000	6500000	1625000
2.	गंगा	सदर	गोगाव	03मि/3	5.00	A-25°13'06.3" B-25°12'57.9" C-25°12'52.4" D-25°12'55.4"	A-82°15'13.7" B-82°15'18.8" C-82°15'11.8" D-82°15'07.5"	65/-	100000	6500000	1625000
3.	गंगा	सदर	खैरा	9घ/1	5.00	A-25°14'10.4" B-25°14'13.0" C-25°14'06.5" D-25°14'03.6"	A-82°15'06.7" B-82°15'15.2" C-82°15'15.1" D-82°15'07.0"	65/-	100000	6500000	1625000
4.	गंगा	सदर	खैरा	9घ/3	5.00	A-25°13'51.6" B-25°13'54.1" C-25°14'00.4" D-25°13'57.1"	A-82°15'10.3" B-82°15'18.9" C-82°15'16.7" D-82°15'06.4"	65/-	100000	6500000	1625000
5.	गंगा	सदर	धुधुटी	1क/1	5.00	A-25°16'38.00" B-25°15'51.10" C-25°15'46.62" D-25°15'54.96"	A-82°16'29.00" B-82°18'11.59" C-82°18'40.7" D-82°17'54.94"	65/-	75000	4875000	1218750
6.	गंगा	सदर	रामनगर सिकरी	1594/1	5.00	A-25°9'75.2" B-25°9'65.4" C-25°9'62.8" D-25°9'57.9" E-25°9'63.7" F-25°9'71.4"	A-82°41'84.5" B-82°42'93.8" C-82°43'40" D-82°43'01.3" E-82°42'89.6" F-82°42'77.8"	65/-	100000	6500000	1625000
7.	गंगा	धुनार	मझराकला	105/1	5.00	A-25°09'77.4" B-25°09'72.9" C-25°09'62.5" D-25°09'67.0"	A-82°43'71.4" B-82°43'55.4" C-82°43'81.7" D-82°43'67.7"	65/-	100000	6500000	1625000

(2) ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली द्वारा नदी तल में स्थित क्षेत्रों पर उपलब्ध उप खनिजों के खनन पट्टे, 05 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगे। पट्टे की अवधि की गणना पट्टाविलेख निष्पादन की तिथि से की जायेगी।

(3) ई-निविदा सह ई-नीलामी की बिड/बोली उप खनिज की प्रति घनमीटर के लिए दी जायेगी, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 के अनुसूची-1 में निर्धारित रायल्टी की दर से



mk

A

कम नहीं होगी। इससे भिन्न बिड/बोली दिये जाने पर बिड/बोली स्वीकार नहीं की जायेगी तथा प्री बिड अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी। प्राप्त उच्चतम बिड/बोली की दर (रूपया प्रति घन मी०) को क्षेत्र में आंकलित मात्रा (घन मीटर) से गुणा कर प्रथम वर्ष की नीलामी की देय धनराशि आगणित की जायेगी, जिसे पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की देय धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

- (4) ई-निविदा सह ई-नीलामी दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में ई-निविदा सम्पन्न की जायेगी जिसके दौरान सभी बिडर्स को एक बार ई-निविदा (e-tender) देने का मौका प्राप्त होगा जो पुनरीक्षित (Revise) नहीं किया जा सकेगा। ई-निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा को आधार मूल्य (Floor Price) मानते हुए द्वितीय चरण में ई-नीलामी करायी जायेगी, जिसके दौरान बिडर्स ई-नीलामी हेतु निर्धारित तिथि एवं अवधि में ई-बिड दे सकते हैं। ई-नीलामी के दौरान केवल उच्चतम बोली को ही प्रदर्शित किया जायेगा जिसको देखते हुए बिडर अपना बिड पुनरीक्षित कर बढ़ा सकते हैं।
- (5) किसी क्षेत्र के ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी गणना क्षेत्र में वार्षिक आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी की दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25% होगा।
- (6) एम०एस०टी०सी० लि० (भारत सरकार का उपक्रम) को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार की ओर से नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा परिहार पर देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया आनलाईन एम०एस०टी० सी० के पोर्टल [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) पर की जायेगी।
- (7) इच्छुक बोलीदाता के लिए आनलाईन बिड/बोली हेतु Class III Signing type डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है। एम०एस०टी०सी० के उपरोक्त पोर्टल पर जाकर अर्ह बोलीदाता अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात ही ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे। ई-निविदा सह ई-नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान डी०एस०सी० की वैधता बनाये रखने की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।
- (8) पंजीकृत बोलीदाता निर्धारित पोर्टल पर आनलाईन अधिकतम 02 क्षेत्र या 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए बिड में भाग ले सकेंगे, परन्तु उसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग आवेदन शुल्क एवं प्रत्येक क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्नेस्टमनी एम०एस०टी०सी० के पोर्टल पर प्रदर्शित प्रक्रिया के अनुसार एम०एस०टी०सी० के पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करनी होगी। किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में पूर्व से 02 (दो) क्षेत्र या कुल 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक के खनन पट्टे धारित होने पर वे बिड में भाग नहीं ले सकेंगे। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए सरकार के पक्ष में रु० 15000.00 (रूपया पन्द्रह हजार) का आवेदन शुल्क एम०एस०टी०सी० पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non refundable) होगा।
- (9) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को एम०एस०टी०सी० में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-आवशन पोर्टल [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) पर उपलब्ध आनलाईन फार्म भरना पड़ेगा जिसके दौरान बिडर्स अपने लिए स्वयं जनित यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड बनायेंगे। इस आनलाईन पंजीयन के उपरान्त बिडर्स को एम०एस०टी०सी० द्वारा भेजी गयी सूचना ई-मेल से प्राप्त होगी। जिसके पश्चात बिडर्स को आवश्यक अभिलेख स्कैन कर एम०एस०टी०सी० को आनलाईन भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही बिडर्स को वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी०एस०टी० सहित रु० 2,360 (रु० दो हजार तीन सौ साठ मात्र) एम०एस०टी०सी० पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से आनलाईन देय होगा। अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात ही बिडर्स का लागिन आई०डी०, पासवर्ड एवं एकाउन्ट एम०एस०टी०सी० के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Activate) होगा। पूर्व में पंजीकृत बिडर्स जिसकी पंजीकरण की अवधि वैध है उन्हें पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा परन्तु नये नियमों के



अनुसार आवश्यक अभिलेख तथा हैसियत प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात ही उनका पंजीकरण चालू (Activate) हो पायेगा।

(10) पंजीकरण हेतु बिडर्स द्वारा स्व प्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर बिडर्स द्वारा अपलोड करना अनिवार्य होगा:-

- (1) बोलीदाता के आधार कार्ड की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड की प्रति तथा कम्पनी के मामले में भारत सरकार कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण-पत्र की प्रति।
- (2) बोलीदाता का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में भागीदारों के अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में प्रबन्ध निदेशक का इस आशय का शपथ पत्र की कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नहीं किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहाँ बोलीदाता स्थायी रूप से निवास करता हो।
  - (i) उत्तर प्रदेश राज्य से भिन्न अन्य प्रदेशों में जहाँ चरित्र प्रमाण पत्र आनलाईन उपलब्ध हो, वह मान्य होगा।
  - (ii) जिलाधिकारी के स्थान पर किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र जारी किये जाने की स्थिति में आवेदक की वैधता के सम्बन्ध में आवेदक का शपथ पत्र लिया जायेगा।
  - (iii) किसी प्रदेश से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र में वैधता का उल्लेख न होने पर उसकी अवधि सामान्यतः निर्गमन के दिनांक से तीन वर्ष मानी जायेगी और जहाँ पर वैधता की अवधि का उल्लेख हो, उसे मान्य किया जायेगा।
- (3) बोलीदाता के पैन कार्ड की प्रति, फर्म या कम्पनी के मामले में उसका पैन कार्ड एंव जी0एस0टी0 नं0 की प्रति।
- (4) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई-निवेदा सह ई-नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, यथा बैंक का नाम, खाता संख्या आई0एफ0एस0सी0 कोड, तथा एक निरस्त चेक की प्रति।
- (5) जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय बकाया न होने का प्रमाण पत्र। जहाँ बोलीदाता राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता है वहाँ इस आशय के शपथ पत्र की प्रति।
- (6) स्वयं का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारण्टी जो बोली की धनराशि के 25% की कीमत से कम न हो।
  - (i) प्रोपराईटरशिप फर्म के सम्बन्ध में प्रोपराईटर का साल्वेंसी, पार्टनरशिप फर्म अथवा लिमिटेड लाइबेलिटी पार्टनरशिप फर्म (एल0एल0पी0) के सम्बन्ध में सभी पार्टनर का साल्वेंसी अनिवार्य होगा जो जिलाधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो। कम्पनी के सम्बन्ध में बैंक द्वारा जारी साल्वेंसी मान्य की जायेगी।
  - (ii) जिन प्रदेशों में साल्वेंसी सर्टिफिकेट आनलाईन उपलब्ध हो, की पुष्टि आनलाईन कराते हुए मान्य की जा सकेगी।
  - (iii) किसी प्रदेश के साल्वेंसी सर्टिफिकेट की वैधता की अवधि का उल्लेख न होने पर इसकी अवधि सामान्यतः निर्गमनके दिनांक से दो वर्ष मानी जायेगी और जहाँ पर वैधता अवधि का उल्लेख हो, उसे मान्य किया जायेगा।
  - (iv) एम0एस0टी0सी0 में पंजीकरण के समय जहाँ आवश्यक हो एम0एस0टी0सी0 साल्वेंसी एवं अन्य अभिलेखों की वैधता के सम्बन्ध में आवेदक से शपथ पत्र मांग सकती है। विडिंग प्रक्रिया में शपथ पत्र के आधार पर भाग लिया जा सकता है परन्तु लेटर आफ इन्टेन्ट



42

निर्गत करने से पूर्व आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। इस सम्बन्ध में लेटर आफ इन्टेन्ट के समय अभिलेखों तथा सात्वेंसी सर्टिफिकेट आदि की वैधता बनाये रखने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

(v) सात्वेंसी सर्टिफिकेट एक ही पंजीकरण हेतु मान्य की जायेगी।

(vi) नियम 26(ख) के अनुसार बोली हेतु अपेक्षित हैसियत प्रमाण पत्र/बैंक गारंटी अद्यतन बनाये रखने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

(7) (i) ऐसे आवेदक जिनका नाम निदेशालय की वेबसाइट पर पैन आधारित काली सूची/जारी वसूली प्रमाण पत्र की सूची में पाया जाता है, उनका बिड में भाग लेने हेतु एम0एस0टी0सी0 में पंजीकरण नहीं किया जायेगा।

(ii) पार्टनरशिप फर्म की दशा में यदि किसी पार्टनर का नाम/पैन नम्बर निदेशालय की वेबसाइट पर पैन आधारित काली सूची/जारी वसूली प्रमाण पत्र की सूची में पाया जाता है, तो उस फर्म को बिड में भाग लेने हेतु एम0एस0टी0सी0 में पंजीकरण नहीं किया जायेगा।

(11) एम0एस0टी0सी0 द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की वेबसाइट से वसूली प्रमाण पत्र एवं 'ब्लैक लिस्ट' की सूची से मिलान करने के उपरान्त केवल उन्ही व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली 1963 के प्राविधानों के अन्तर्गत अर्ह हों। नियमावली 1963 के नियम-26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं :-

(1)- जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है।

(2)- जिसके विरुद्ध खनिज देय बकाया है।

(3)- जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया है। शर्त यह है कि उस चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो।

(4)- जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।

(5)- जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।

(6)- फर्म/कम्पनी के मामले में जिसने पैनकार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो।

(7)- जिसने हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक प्रत्याभूति जो बोली की धनराशि के 25% की कीमत से कम न हो, प्रस्तुत न की हो।

(12) आनलाईन ई-निविदा डालने तथा ई-नीलागी बोलने की विधि का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) पर देखा जा सकता है।

(13) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक ₹0 15000 (₹0 पन्द्रह हजार मात्र) का शुल्क जो अप्रतिदेय होगा तथा अर्नेष्ट मनी जो विज्ञप्ति में क्षेत्र के नाम सम्मुख अंकित हो, जमा किया जाना होगा।

(14) सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बयाने की धनराशि (अर्नेष्ट मनी) यथावत उसी बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी जिस बैंक खाते से पैसा दिया गया था। आवेदक द्वारा पंजीकरण के समय दिये गये बैंक खाते में बदलाव मान्य नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अनुमोदन उपरान्त बैंक खाते का बदलाव किया जा सकता है।

(15) जहां किसी भी कारण ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया पूरी न हो वहां कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के पश्चात पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकती है।



*mk*

*R*

(16) अधिकतम दो खनन पट्टे या 50 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र को उ०प्र० राज्य में किसी व्यक्ति/ फर्म/कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में एक व्यक्ति/ फर्म/कम्पनी के द्वारा अपने पक्ष में दो खनन पट्टे या 50 हेक्टेयर से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टे निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के दो क्षेत्र या 50 हेक्टेयर के खनन पट्टे ही अनुमन्य होंगे। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में दो खनन पट्टे या 50 हेक्टेयर से अधिक के खनन पट्टे हेतु जारी लेटर आफ इन्टेंट की सूचना देता है, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी। नियमावली 1963 में 47वें संशोधन के पूर्व के प्रकरण इस शर्त से आच्छादित नहीं होंगे।

(17) ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया :-

(1) ई-निविदा सह ई-नीलामी दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में केवल ई-निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत डाली जायेगी। बिड की दर प्रत्येक उप खनिज के लिए प्रति घन मीटर के लिए दी जायेगी, जो सम्बन्धित उप खनिज के लिए नियमावली 1963 की अनुसूची-1 में उल्लिखित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी। विज्ञापित के अनुसार क्षेत्रवार प्राप्त ई-निविदा एक साथ न खोलकर पृथक-पृथक खोला जायेगा। प्रत्येक क्षेत्र के प्रथम चरण की ई-निविदा खोलने के तत्काल 02 घण्टे बाद द्वितीय चरण की ई-नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

(2) प्रथम चरण की समाप्ति के उपरान्त निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-

(क) यदि प्रथम चरण में एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (आफर) में प्रति घनमीटर दी गयी दर नियमावली 1963 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिए निर्धारित रायल्टी दर से 400% से अधिक है तथा शेष शर्तें पूर्ण करता हो, तो जिलाधिकारी द्वारा उस निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(ख) यदि प्रथम चरण में केवल एक ही बिड प्राप्त होता है और उक्त बिड (आफर) में प्रति घन मीटर में दिया गया दर नियमावली 1963 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिए निर्धारित रायल्टी दर से अधिक परन्तु 400% से कम है तो जिलाधिकारी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता, खनिज की गुणवत्ता, उपखनिज का बाजार मूल्य, उस क्षेत्र में खनिज की मांग, क्षेत्र में अवैध खनन की सम्भावना, राजस्व की प्राप्ति आदि पर विचार करते हुए स्वविवेक से एकल निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी करने अथवा न करने के सन्बन्ध में निर्णय ले सकेंगे।

(ग) यदि प्रथम चरण में एक से अधिक परन्तु पाँच या पाँच से कम बिड प्राप्त होता है तो सभी बिडकर्ता द्वितीय चरण की ई-नीलामी में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(घ) यदि पाँच से अधिक बिड/आफर प्राप्त होते हैं तब केवल पाँच सर्वाधिक निविदाकार ही द्वितीय चरण की ई-नीलामी में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(3) उपरोक्त प्रस्तार-17(2)(ग)(घ) के अनुसार प्रथम चरण के योग्य बोलीदाता द्वितीय चरण की नीलामी में भाग ले सकते हैं।



*mk*

*W*

असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो लेटर आफ इन्टेन्ट जारी नहीं किया जायेगा तथा बयाने की धनराशि (अर्नेष्टमनी) जब्त कर ली जायेगी।

(20) लेटर आफ इन्टेन्ट में निम्न विवरण होंगे :

- (1) प्रथम वर्ष के लिए देय नीलामी धनराशि की गणना पट्टा क्षेत्र के लिए विज्ञापित में आंकलित मात्रा घन मीटर को ई-निविदा/ई-नीलामी की दर रूपया घन मीटर से गुणा कर निकाली जायेगी। खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की देय धनराशि पर 10% की वृद्धि की जायेगी।
- (2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की निर्वन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25% और स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 20% दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि (अर्नेष्ट मनी) प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।
- (3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्तें एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10% वृद्धि के साथ नियमावली 1963 के पंचम अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी।
- (4) पट्टाधारक नियम-17 के प्राविधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा जिसमें सीमा बिन्दुओं का जिओ-कोऑर्डिनेट्स भी इंगित किया जायेगा तथा नियम-35 के अनुसार सीमा-स्तम्भ लगायेगा और इसका अनुरक्षण करेगा।
- (5) चयनित आवेदक नियम-34 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।
- (6) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम-34 के अनुसार क्षेत्र के भूमि उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा की जायेगी।
- (7) आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेन्ट) जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- (8) पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन करारकर खनन संक्रिया तत्काल प्रारम्भ की जानी होगी।

(21) सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीति :

- (1) स्वीकृत पट्टे की अवधि 05 वर्ष होगी, परन्तु बोली/निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिए मानी जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न होने पर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की मात्रा अनुमन्य होगी। पट्टा क्षेत्र हेतु अनुमन्य मात्रा को प्रथम वर्ष के लिए प्राप्त बोली की दर से गुणा कर प्रथम वर्ष हेतु ई-नीलामी की धनराशि निर्धारित की जायेगी। अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की दर पर 10% की वार्षिक वृद्धि की जायेगी तथा तदनुसार प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों के लिए पट्टा धनराशि नियमावली 1963 के पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।
- (2) लेटर आफ इन्टेन्ट प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25% प्रतिभूति जमा एवं 20% प्रथम किश्त अर्थात् पट्टे के प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित पट्टा धनराशि का 45% के समतुल्य धनराशि सम्यन्धित जनपद में विभाग के निर्धारित लेखाशीर्षक में लेटर आफ इन्टेन्ट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर प्री बिड अर्नेस्ट मनी समायोजित करते हुए जमा किया जाना होगा। प्री-बिड अर्नेष्ट मनी की धनराशि एम0एस0टी0सी0 द्वारा सम्यन्धित जनपद के जिलाधिकारी को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा ऑनलाइन हस्तान्तरित की जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त



*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो लेटर आफ इन्टेन्ट जारी नहीं किया जायेगा तथा बयाने की धनराशि (अर्नेष्टमनी) जब्त कर ली जायेगी।

(20)

लेटर आफ इन्टेन्ट में निम्न विवरण होंगे :

- (1) प्रथम वर्ष के लिए देय नीलामी धनराशि की गणना पट्टा क्षेत्र के लिए विज्ञापित में आंकलित मात्रा घन मीटर को ई-निविदा/ई-नीलामी की दर रूपया घन मीटर से गुणा कर निकाली जायेगी। खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की देय धनराशि पर 10% की वृद्धि की जायेगी।
  - (2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की निर्वन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25% और स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 20% दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि (अर्नेष्ट मनी) प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।
  - (3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्तें एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10% वृद्धि के साथ नियमावली 1963 के पंचम अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी।
  - (4) पट्टाधारक नियम-17 के प्राविधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा जिसमें सीमा बिन्दुओं का जिओ-कोऑर्डिनेट्स भी इंगित किया जायेगा तथा नियम-35 के अनुसार सीमा-स्तम्भ लगायेगा और इसका अनुरक्षण करेगा।
  - (5) चयनित आवेदक नियम-34 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स बलोजर प्लान एवं पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।
  - (6) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम-34 के अनुसार क्षेत्र के भूमि उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा की जायेगी।
  - (7) आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेन्ट) जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (8) पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन कराकर खनन संक्रिया तत्काल प्रारम्भ की जानी होगी।
- (21) सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीति :
- (1) स्वीकृत पट्टे की अवधि 05 वर्ष होगी, परन्तु बोली/निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिए मानी जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न होने पर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की मात्रा अनुमन्य होगी। पट्टा क्षेत्र हेतु अनुमन्य मात्रा को प्रथम वर्ष के लिए प्राप्त बोली की दर से गुणा कर प्रथम वर्ष हेतु ई-नीलामी की धनराशि निर्धारित की जायेगी। अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की दर पर 10% की वार्षिक वृद्धि की जायेगी तथा तदनुसार प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों के लिए पट्टा धनराशि नियमावली 1963 के पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।
  - (2) लेटर आफ इन्टेन्ट प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25% प्रतिभूति जमा एवं 20% प्रथम किश्त अर्थात् पट्टे के प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित पट्टा धनराशि का 45% के समतुल्य धनराशि सम्बन्धित जनपद में विभाग के निर्धारित लेखाशीर्षक में लेटर आफ इन्टेन्ट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर प्री विड अर्नेस्ट मनी समायोजित करते हुए जमा किया जाना होगा। प्री-विड अर्नेष्ट मनी की धनराशि एम0एस0टी0सी0 द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा ऑनलाइन हस्तान्तरित की जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेष्ट मनी जव्व कर ली जायेगी और उसके द्वारा उस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।

- (3) प्रथम वर्ष के लिए शेष 80% पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षों के लिए पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम-58 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।
- (4) पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0 जिला खनिज फाउन्डेशन (डी0एम0एफ0) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।
- (22) **शर्तें :**
- (1) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (2) पट्टाधारक पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र का सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र का कोऑर्डिनेट्स अंकित किये जायेंगे तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टाधारक अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्बे को लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक होगा।
- (3) पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से तत्काल खनन संक्रियाएं पट्टेदार प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात जानबूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण शैली से कुशल कारीगर की भौति करेगा।
- (4) पट्टाधारक नियम-35 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टेदार उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख रखाव करेगा एवं सदैव चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।
- (5) पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई-एम0एम0-11 सही विवरण तथा विक्रय मूल्य सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एम0एम0-11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हें सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली 1963 के नियम-59 के अन्तर्गत शास्त्र का भागीदार होगा।
- (6) पट्टेदार 03 मीटर की गहराई अथवा जल स्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियाएं नहीं करेगा।
- (7) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।
- (8) नदी की जल धारा में सवशन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।



- (9) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहाँ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।
- (10) यदि पट्टाधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बताने का युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।
- (11) मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।
- (12) नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।
- (13) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारकों को मान्य होगा।
- (14) स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुए अन्य शर्तें जो जिलाधिकारी द्वारा उचित समझी जाये, खनन पट्टा विलेख में सम्मिलित की जा सकेंगी।

(सुशील कुमार पटेल)  
जिलाधिकारी,  
मीरजापुर।

- पत्र संख्या- / तददिनांक।  
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ।
  2. आयुक्त विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
  3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
  4. शाखा प्रबन्धक, मे0 एम0एस0टी0सी0 लि0, जी-25/26, तेज प्लाजा 1, टी0एन0 सिंह रोड, हजरतगंज, लखनऊ।
  5. निदेशक, सूचना (उ0प्र0), लखनऊ।
  6. उप निदेशक, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मीरजापुर।

जिलाधिकारी,  
मीरजापुर।

Solemnly affirmed before me by the Deponent who identified by Sri, *Smt. Lijankha, Mirzapur*  
Clerk or..... Advocate on..... *D. M.*  
I have satisfied myself by examining the Deponent that he/she understands the contents of the Affidavit and the contents read over and explained by me, Serial No. *181* Received at *181*

Signature of the Notary



# कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक: 5049/खनिज/ई-निविदा सह ई-नीलामी/बालू/2022

दिनांक: 27-अप्रैल, 2022

## ई-निविदा सह ई-नीलामी आमन्त्रण हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद मीरजापुर में नदी तल में साधारण बालू (गंगा नदी) के निम्न विवरण के अनुसार रिक्त खनन क्षेत्रों को उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम-23 के उप नियम-(1) के प्राविधानों के अन्तर्गत उपलब्ध घोषित करते हुए शासनादेश संख्या-2168/86-2019-57(सा०)/2017 दिनांक 09/10/2019 में दिये गये निर्देशानुसार उक्त नियमावली के अध्याय-4 के प्राविधानों के अन्तर्गत खनन पट्टे पर स्वीकृत किये जाने हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रित की जाती है :-

### 1. क्षेत्र का विवरण

क्र० सं०	क्षेत्र का विवरण					Latitude (N)	Longitude (E)	निचमावली 1963 के अनुसार चपटी दर (रो प्रति घनफुट)	खनन योग्य आकलित उप खनिज का भण्डार (घनमी० प्रतिघनफुट)	प्रथम वर्ष में आकलित भण्डार की कुल राश्वली रूपदो में। (कालम 10 में अंकित घनमी० प्रतिघनफुट का कालम 9 में अंकित राश्वली से गुण करने पर उपलब्ध सकल घनराशि)	अनरट नदी (कालम 11 में अंकित सकल घनराशि का 25 प्रतिशत)
	नदी का नाम	तहसील	ग्राम	गाटा सं० / खण्ड सं० / जोन सं०	क्षेत्रफल (रो में)						
1.	गंगा	सादर	गोगाव	अमि०/4	5.00	A-25°12'57.50" B-25°12'53.51" C-25°12'47.87" D-25°12'51.30"	A-82°15'18.80" B-82°15'24.59" C-82°15'13.53" D-82°15'13.50"	65/-	100000	6500000	1625000
2.	गंगा	सादर	खैरा	9घ/1	5.00	A-25°14'10.40" B-25°14'13.00" C-25°14'06.50" D-25°14'03.80"	A-82°15'06.70" B-82°15'15.20" C-82°15'15.10" D-82°15'07.30"	65/-	100000	6500000	1625000
3.	गंगा	सादर	खैरा	9घ/3	5.00	A-25°13'57.34" B-25°13'59.60" C-25°13'53.00" D-25°13'51.10"	A-82°15'06.40" B-82°15'15.20" C-82°15'18.45" D-82°15'07.70"	65/-	100000	6500000	1625000
4.	गंगा	सादर	खैरा	9घ/5	5.00	A-25°13'58.80" B-25°13'54.20" C-25°13'29.51" D-25°13'53.80"	A-82°15'05.20" B-82°15'13.80" C-82°15'10.50" D-82°15'12.50"	65/-	100000	6500000	1625000
5.	गंगा	सादर	दशुकिगा	494ग/1	5.00	A-25°13'11.89" B-25°13'11.20" C-25°13'04.70" D-25°13'05.80"	A-82°14'25.41" B-82°14'22.90" C-82°14'28.60" D-82°14'21.71"	65/-	100000	6500000	1625000
6.	गंगा	सादर	भदिनी	2/4	5.00	A-25°13'08.27" B-25°13'08.34" C-25°13'00.54" D-25°13'03.72"	A-82°13'20.60" B-82°13'27.79" C-82°13'27.49" D-82°13'20.09"	65/-	100000	6500000	1625000
7.	गंगा	सादर	भदिनी	2/5	5.00	A-25°13'08.34" B-25°13'08.40" C-25°13'01.59" D-25°13'00.54"	A-82°13'27.79" B-82°13'34.60" C-82°13'34.00" D-82°13'27.49"	65/-	100000	6500000	1625000
8.	गंगा	सादर	मुपुटी	1घ/1	5.00	A-25°13'58.21" B-25°13'51.10" C-25°13'47.79" D-25°14'34.87"	A-82°13'53.13" B-82°13'11.50" C-82°13'06.89" D-82°13'56.84"	65/-	75000	4875000	1218750
9.	गंगा	मुनार	बसारापुर	140/2	5.00	A-25°09'18.30" B-25°09'18.84" C-25°09'10.83" D-25°09'11.17"	A-82°09'25.140" B-82°09'25.74" C-82°09'25.64" D-82°09'25.102"	65/-	100000	6500000	1625000

- (2) ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली द्वारा नदी तल में स्थित क्षेत्रों पर उपलब्ध उप खनिजों के खनन पट्टे, 05 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगे। पट्टे की अवधि की गणना पट्टाविलेख निष्पादन की तिथि से की जायेगी।



- (3) ई-निविदा सह ई-नीलामी की बिड/बोली उप खनिज की प्रति घनमीटर के लिए दी जायेगी, जो 30प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के अनुसूची-1 में निर्धारित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी। इससे भिन्न बिड/बोली दिये जाने पर बिड/बोली स्वीकार नहीं की जायेगी तथा प्री बिड अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी। प्राप्त उच्चतम बिड/बोली की दर (रूपया प्रति घन मी0) को क्षेत्र में आंकलित मात्रा (घन मीटर) से गुणा कर प्रथम वर्ष की नीलामी की देय धनराशि आगणित की जायेगी, जिसे पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की देय धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
- (4) ई-निविदा सह ई-नीलामी दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में ई-निविदा सम्पन्न की जायेगी जिसके दौरान सभी बिडर्स को एक बार ई-निविदा (e-tender) देने का मौका प्राप्त होगा जो पुनरीक्षित (Revise) नहीं किया जा सकेगा। ई-निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा को आधार मूल्य (Floor Price) मानते हुए द्वितीय चरण में ई-नीलामी करायी जायेगी, जिसके दौरान बिडर्स ई-नीलामी हेतु निर्धारित तिथि एवं अवधि में ई-बिड दे सकता है। ई-नीलामी के दौरान केवल उच्चतम बोली को ही प्रदर्शित किया जायेगा जिसको देखते हुए बिडर अपना बिड पुनरीक्षित कर बढ़ा सकते हैं।
- (5) किसी क्षेत्र के ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी गणना क्षेत्र में वार्षिक आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी की दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25% होगा।
- (6) एम0एस0टी0सी0 लि0 (भारत सरकार का उपक्रम) को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार की ओर से नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा परिहार पर देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया आनलाईन एम0एस0टी0 सी0 के पोर्टल [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) पर की जायेगी।
- (7) इच्छुक बोलीदाता के लिए आनलाईन बिड/बोली हेतु Class III Signing type डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है। एम0एस0टी0सी0 के उपरोक्त पोर्टल पर जाकर अर्ह बोलीदाता अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात ही ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे। ई-निविदा सह ई-नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान डी0एस0सी0 की वैधता बनाये रखने की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।
- (8) पंजीकृत बोलीदाता निर्धारित पोर्टल पर आनलाईन अधिकतम 02 क्षेत्र या 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए बिड में भाग ले सकेंगे, परन्तु उसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग आवेदन शुल्क एवं प्रत्येक क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्नेस्टमनी एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर प्रदर्शित प्रक्रिया के अनुसार एम0एस0टी0सी0 के पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करनी होगी। किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में पूर्व से 02 (दो) क्षेत्र या कुल 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक के खनन पट्टे धारित होने पर वे बिड में भाग नहीं ले सकेंगे। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए सरकार के पक्ष में ₹0 15000.00 (रूपया पन्द्रह हजार) का आवेदन शुल्क एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non refundable) होगा।
- (9) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को एम0एस0टी0सी0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-आवशन पोर्टल [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) पर उपलब्ध आनलाईन फार्म भरना पड़ेगा जिसके दौरान बिडर्स अपने लिए स्वयं जनित यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड बनायेंगे। इस आनलाईन पंजीयन के उपरान्त बिडर्स को एम0एस0टी0सी0 द्वारा भेजी गयी सूचना ई-मेल से प्राप्त होगी। जिसके पश्चात बिडर्स को आवश्यक अभिलेख स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 को आनलाईन भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही बिडर्स को वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी0एस0टी0 सहित ₹0 2,360 (₹0 दो हजार तीन सौ साठ मात्र) एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से आनलाईन देय होगा। अनिवार्य अभिलेख



*Handwritten signature/initials*

*Handwritten mark*

एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात ही बिडर्स का लागिन आई0डी0, पारावर्ड एवं एकाउन्ट एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Activate) होगा। पूर्व में पंजीकृत बिडर्स जिसकी पंजीकरण की अवधि वैध है उन्हें पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा परन्तु नये नियमों के अनुसार आवश्यक अभिलेख तथा हैसियत प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात ही उनका पंजीकरण चालू (Activate) हो पायेगा।

(10) पंजीकरण हेतु बिडर्स द्वारा स्व प्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर बिडर्स द्वारा अपलोड करना अनिवार्य होगा:-

- (1) बोलीदाता के आधार कार्ड की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड की प्रति तथा कम्पनी के मामले में भारत सरकार कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण-पत्र की प्रति।
- (2) बोलीदाता का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में भागीदारों के अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में प्रबन्ध निदेशक का इस आशय का शपथ पत्र की कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नहीं किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहाँ बोलीदाता स्थायी रूप से निवास करता हो।
  - (i) उत्तर प्रदेश राज्य से भिन्न अन्य प्रदेशों में जहाँ चरित्र प्रमाण पत्र आनलाईन उपलब्ध हो, वह मान्य होगा।
  - (ii) जिलाधिकारी के स्थान पर किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र जारी किये जाने की स्थिति में आवेदक की वैधता के सम्बन्ध में आवेदक का शपथ पत्र लिया जायेगा।
  - (iii) किसी प्रदेश से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र में वैधता का उल्लेख न होने पर उसकी अवधि सामान्यतः निर्गमन के दिनांक से तीन वर्ष मानी जायेगी और जहाँ पर वैधता की अवधि का उल्लेख हो, उसे मान्य किया जायेगा।
- (3) बोलीदाता के बैंक कार्ड की प्रति, फर्म या कम्पनी के मामले में उसका बैंक कार्ड एवं जी0एस0टी0 नं0 की प्रति।
- (4) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई-निविदा सह ई-नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, यथा बैंक का नाम, खाता संख्या आई0एफ0एस0सी0 कोड, तथा एक निरस्त चेक की प्रति।
- (5) जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय बकाया न होने का प्रमाण पत्र। जहाँ बोलीदाता राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता है वहाँ इस आशय के शपथ पत्र की प्रति।
- (6) स्वयं का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारण्टी जो बोली की धनराशि के 25% की कीमत से कम न हो।
  - (i) प्रोपेराईटरशिप फर्म के सम्बन्ध में प्रोपेराईटर का साल्वेंसी, पार्टनरशिप फर्म अथवा लिमिटेड लाइबेलिटी पार्टनरशिप फर्म (एल0एल0पी0) के सम्बन्ध में सभी पार्टनर का साल्वेंसी अनिवार्य होगा जो जिलाधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो। कम्पनी के सम्बन्ध में बैंक द्वारा जारी साल्वेंसी मान्य की जायेगी।
  - (ii) जिन प्रदेशों में साल्वेंसी सर्टिफिकेट आनलाईन उपलब्ध हो, की पुष्टि आनलाईन कराते हुए मान्य की जा सकेगी।
  - (iii) किसी प्रदेश के साल्वेंसी सर्टिफिकेट की वैधता की अवधि का उल्लेख न होने पर इसकी अवधि सामान्यतः निर्गमनके दिनांक से दो वर्ष मानी जायेगी और जहाँ पर वैधता अवधि का उल्लेख हो, उसे मान्य किया जायेगा।



*m/k*

*4*

- (iv) एम0एस0टी0सी0 में पंजीकरण के समय जहाँ आवश्यक हो एम0एस0टी0सी0 साल्वेंसी एवं अन्य अभिलेखों की वैधता के सम्बन्ध में आवेदक से शपथ पत्र मांग सकती है। विडिंग प्रक्रिया में शपथ पत्र के आधार पर भाग लिया जा सकता है परन्तु लेटर आफ इन्टेन्ट निर्गत करने से पूर्व आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन किया जाना अनिवार्य होगा। इस सम्बन्ध में लेटर आफ इन्टेन्ट के समय अभिलेखों यथा चरित्र प्रमाण पत्र, साल्वेंसी सर्टिफिकेट आदि की वैधता बनाये रखने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- (v) साल्वेंसी सर्टिफिकेट एक ही पंजीकरण हेतु मान्य की जायेगी।
- (vi) नियम 26(छ) के अनुसार बोली हेतु अपेक्षित हैसियत प्रमाण पत्र/बैंक गारंटी अद्यतन बनाये रखने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- (7) (i) ऐसे आवेदक जिनका नाम निदेशालय की वेबसाइट पर पैन आधारित काली सूची/जारी वसूली प्रमाण पत्र की सूची में पाया जाता है, उनका विड में भाग लेने हेतु एम0एस0टी0सी0 में पंजीकरण नहीं किया जायेगा।
- (ii) पार्टनरशिप फर्म की दशा में यदि किसी पार्टनर का नाम/पैन नम्बर निदेशालय की वेबसाइट पर पैन आधारित काली सूची/जारी वसूली प्रमाण पत्र की सूची में पाया जाता है, तो उस फर्म को विड में भाग लेने हेतु एम0एस0टी0सी0 में पंजीकरण नहीं किया जायेगा।
- (11) एम0एस0टी0सी0 द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की वेबसाइट से वसूली प्रमाण पत्र एवं ब्लैक लिस्ट की सूची से मिलान करने के उपरान्त केवल उन्ही व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत अर्ह हों। नियमावली 2021 के नियम-26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं :-
- (1)- जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है।
  - (2)- जिसके विरुद्ध खनिज देय बकाया है।
  - (3)- जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया है। शर्त यह है कि उस चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो।
  - (4)- जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।
  - (5)- जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।
  - (6)- फर्म/कम्पनी के मामले में जिसने पैनकार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो।
  - (7)- जिसने हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक प्रत्याभूति जो बोली की धनराशि के 25% की कीमत से कम न हो, प्रस्तुत न की हो।
- (12) आनलाईन ई-निविदा डालने तथा ई-नीलामी बोलने की विधि का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) पर देखा जा सकता है।
- (13) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक रु0 15000 (रु0 पन्द्रह हजार मात्र) का शुल्क जो अप्रतिदेय होगा तथा अर्नेष्ट मनी जो विज्ञापित में क्षेत्र के नाम सम्मुख अंकित हो, जमा किया जाना होगा।
- (14) सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बयाने की धनराशि (अर्नेष्ट मनी) यथावत उसी बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी जिस बैंक खाते से पैसा दिया गया था। आवेदक द्वारा पंजीकरण के समय दिये गये बैंक खाते में बदलाव मान्य नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अनुमोदन उपरान्त बैंक खाते का बदलाव किया जा सकता है।



- (15) जहां किसी भी कारण ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया पूरी न हो वहां कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के परचात पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकती है।
- (16) अधिकतम दो खनन पट्टे या 50 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र को उ0प्र0 राज्य में किसी व्यक्ति/ फर्म/कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में एक व्यक्ति/ फर्म/कम्पनी के द्वारा अपने पक्ष में दो खनन पट्टे या 50 हेक्टेयर से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टे निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के दो क्षेत्र या 50 हेक्टेयर के खनन पट्टे ही अनुमन्य होंगे। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में दो खनन पट्टे या 50 हेक्टेयर से अधिक के खनन पट्टे हेतु जारी लेटर आफ इन्टेन्ट की सूचना देता है, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी। नियमावली 1963 में 47वें संशोधन के पूर्व के प्रकरण इस शर्त से आच्छादित नहीं होंगे।
- (17) ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया :-
- (1) ई-निविदा सह ई-नीलामी दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में केवल ई-निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत डाली जायेगी। बिड की दर प्रत्येक उप खनिज के लिए प्रति घन मीटर के लिए दी जायेगी, जो सम्बन्धित उप खनिज के लिए नियमावली 2021 की अनुसूची-1 में उल्लिखित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी। विज्ञप्ति के अनुसार क्षेत्रवार प्राप्त ई-निविदा एक साथ न खोलकर पृथक-पृथक खोला जायेगा। प्रत्येक क्षेत्र के प्रथम चरण की ई-निविदा खोलने के तत्काल 02 घण्टे बाद द्वितीय चरण की ई-नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
- (2) प्रथम चरण की समाप्ति के उपरान्त निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-
- (क) यदि प्रथम चरण में एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (आफर) में प्रति घनमीटर दी गयी दर नियमावली 2021 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिए निर्धारित रायल्टी दर से 400% से अधिक है तथा शेष शर्तें पूर्ण करता हो, तो जिलाधिकारी द्वारा उस निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेन्ट जारी किया जायेगा।
- (ख) यदि प्रथम चरण में केवल एक ही बिड प्राप्त होता है और उक्त बिड (आफर) में प्रति घन मीटर में दिया गया दर नियमावली 2021 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिए निर्धारित रायल्टी दर से अधिक परन्तु 400% से कम है तो जिलाधिकारी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता, खनिज की गुणवत्ता, उपखनिज का बाजार मूल्य, उस क्षेत्र में खनिज की मांग, क्षेत्र में अवैध खनन की सम्भावना, राजस्व की प्राप्ति आदि पर विचार करते हुए स्वविवेक से एकल निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेन्ट जारी करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय ले सकेंगे।
- (ग) यदि प्रथम चरण में एक से अधिक परन्तु पाँच या पाँच से कम बिड प्राप्त होता है तो सभी बिडकर्ता द्वितीय चरण की ई-नीलामी में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेन्ट जारी किया जायेगा।
- (घ) यदि पाँच से अधिक बिड/आफर प्राप्त होते हैं तब केवल पाँच सर्वाधिक निविदाकार ही द्वितीय चरण की ई-नीलामी में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेन्ट जारी किया जायेगा।



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

- (3) उपरोक्त प्रस्तर-17(2)(ग)(घ) के अनुसार प्रथम चरण के योग्य बोलीदाता द्वितीय चरण की नीलामी में भाग ले सकते हैं।
- (4) द्वितीय चरण में ई-नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी। ई-नीलामी की प्रक्रिया प्रथम चरण की अग्रसारित प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रथम चरण में प्राप्त उच्चतम बिड/आफर द्वितीय चरण की ई-नीलामी के लिए न्यूनतम बोली (Floor price) स्वतः निर्धारित हो जायेगी।
- (5) ई-नीलामी की प्रक्रिया जो ई-निविदा खोलने के तत्काल दो घण्टे बाद प्रारम्भ होगी, में इच्छुक एवं अर्ह व्यक्ति/फर्म/कम्पनी बोली में कई बार भाग ले सकते हैं। ई-नीलामी की आनलाईन प्रक्रिया में स्क्रीन पर अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली आनलाईन ही दिया जा सकता है।
- (6) निर्धारित समय के पश्चात बोली बन्द हो जायेगी और उसके उपरान्त कोई बोली नहीं दी जा सकती है। बोली के अन्तिम समय में यदि कोई और बोली प्राप्त होती है तो ई-नीलामी की बोली का समय स्वतः 05 मिनट के लिए बढ़ जायेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक 05 मिनट के अन्तराल में कोई और बोली प्राप्त नहीं होती है।
- (7) ई-निविदा सह ई-नीलामी की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी :-

प्रेस विज्ञापित (विज्ञापित का प्रकारान)	दिनांक 30/04/2022
प्रो-बिड ई0एम0डी0 एवं आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	ई-निविदा से पूर्व एम0एस0टी0सी0 में प्रो-बिड ई0एम0डी0 एवं आवेदन शुल्क एम0एस0टी0सी0 वेबसाईट पर वर्णित दिशा-निर्देशों के अनुसार बोलीदाता द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।
प्रथम चरण ई-निविदा (ई-टेंडर) की अवधि	दिनांक 31/05/2022 पूर्वाह्न 10.00 बजे से दिनांक 03/06/2022 साय 5.00 बजे तक
विज्ञापित में अंकित क्षेत्र का क्रमांक	प्रथम चरण में प्राप्त निविदा का खोला जाना एवं मूल्यांकन दिनांक व समय
क्रमांक 1 व 2	दि 06.06.2022 पूर्वाह्न 10:00 से 12:00 तक
क्रमांक 3 व 4	दि 06.06.2022 अपराह्न 01:00 से 03:00 तक
क्रमांक 5 व 6	दि 07.06.2022 पूर्वाह्न 10:00 से 12:00 तक
क्रमांक 7 व 8	दि 07.06.2022 अपराह्न 01:00 से 03:00 तक
क्रमांक 9	दि 08.06.2022 अपराह्न 01:00 से 03:00 तक

- (8) परिणाम की घोषणा एवं उसका प्रदर्शन :
- क. प्रथम चरण की निविदा प्रक्रिया का परिणाम निविदाकार (Tenderer) के लागिन पर प्रदर्शित होगा। प्रथम चरण के निविदा प्रक्रिया के समापन के पश्चात अधिकतम निविदा धनराशि (बिडिंग एमाउन्ट) प्रदर्शित की जायेगी। सभी निविदाकार द्वितीय चरण की बोली हेतु वे योग्य हैं अथवा नहीं को भी लागिन कर जान सकते हैं।
- ख. एकल निविदा के मामलों को छोड़कर शेष मामलों में द्वितीय चरण की नीलामी समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त अधिकतम बोली उसके बोलीदाता का विवरण एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- (18) पट्टे का दिया जाना : नियमावली के नियम-29 के प्राविधानों के अनुसार ई-निविदा सह ई-नीलामी के मामले में उस बोली या प्रस्ताव को उपरोक्त प्रस्तर-17(2) में दिये गये प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी स्वीकार करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा सफल एवं नियमानुसार अर्ह बोलीदाता/निविदादाता को उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख के सत्यापन कराने के एक सप्ताह के अन्दर लेटर आफ इन्टेन्ट निर्गत किया जायेगा।
- (19) अभिलेखों का सत्यापन : ई-नीलामी समाप्त होने के पश्चात 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेख का सत्यापन उस जनपद के जिलाधिकारी, जहाँ क्षेत्र स्थित है, के द्वारा अथवा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के द्वारा कराना होगा। निदेशक द्वारा मूल



marks

CP

अभिलेख के सत्यापन की स्थिति में अभिलेख-सत्यापन की आख्या ई-मेल के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। अभिलेख-सत्यापन के पश्चात ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेन्ट जारी किया जायेगा। सत्यापन में यदि कोई अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र कूटरयित, असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो लेटर आफ इन्टेन्ट जारी नहीं किया जायेगा तथा बयाने की धनराशि (अर्नेष्टमनी) जब्त कर ली जायेगी।

(20) लेटर आफ इन्टेन्ट में निम्न विवरण होंगे :

- (1) प्रथम वर्ष के लिए देय नीलामी धनराशि की गणना पट्टा क्षेत्र के लिए विज्ञप्ति में आंकलित मात्रा घन मीटर को ई-निविदा/ई-नीलामी की दर रूपया घन मीटर से गुणा कर निकाली जायेगी। खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की देय धनराशि पर 10% की वृद्धि की जायेगी।
- (2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की निर्वन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25% और स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 20% दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि (अर्नेष्ट मनी) प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।
- (3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्तें एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10% वृद्धि के साथ नियमावली 2021 के पंचम अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी।
- (4) पट्टाधारक नियम-17 के प्राविधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा जिसमें सीमा बिन्दुओं का जिओ-कोऑर्डिनेट्स भी इंगित किया जायेगा तथा नियम-36 के अनुसार सीमा-स्तम्भ लगायेगा और इसका अनुरक्षण करेगा।
- (5) चयनित आवेदक नियम-35 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।
- (6) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम-35 के अनुसार क्षेत्र के भूमि उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा की जायेगी।
- (7) आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेन्ट) जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- (8) पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन कराकर खनन संक्रिया तत्काल प्रारम्भ की जानी होगी।

(21) सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीति :

- (1) स्वीकृत पट्टे की अवधि 05 वर्ष होगी, परन्तु बोली/निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिए मानी जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न होने पर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की मात्रा अनुमन्य होगी। पट्टा क्षेत्र हेतु अनुमन्य मात्रा को प्रथम वर्ष के लिए प्राप्त बोली की दर से गुणा कर प्रथम वर्ष हेतु ई-नीलामी की धनराशि निर्धारित की जायेगी। अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की दर पर 10% की वार्षिक वृद्धि की जायेगी तथा तदनुसार प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों के लिए पट्टा धनराशि नियमावली 2021 के पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।
- (2) लेटर आफ इन्टेन्ट प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25% प्रतिभूति जमा एवं 20% प्रथम किश्त अर्थात् पट्टे के प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित पट्टा धनराशि का 45% के समतुल्य धनराशि सम्बन्धित जनपद में विभाग के निर्धारित



लेखाशीर्षक में लेटर आफ इन्टेन्ट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर प्री विड अर्नेस्ट मनी समायोजित करते हुए जमा किया जाना होगा। प्री-विड अर्नेस्ट मनी की धनराशि एम0एस0टी0सी0 द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा ऑनलाइन हस्तान्तरित की जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा उस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।

- (3) प्रथम वर्ष के लिए शेष 80% पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षों के लिए पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम-58 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।
- (4) पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0 जिला खनिज फाउन्डेशन (डी0एम0एफ0) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।
- (22) शर्तें :
- (1) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर विडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (2) पट्टाधारक पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र का सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र का कोआर्डिनेट्स अंकित किये जायेंगे तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टाधारक अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खन्धे को लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक होगा।
- (3) पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से तत्काल खनन संक्रियाएं पट्टेदार प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात जानबूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भाँति करेगा।
- (4) पट्टाधारक नियम-36 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टेदार उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख रखाव करेगा एवं सदैव चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।
- (5) पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई-एम0एम0-11 सही विवरण तथा विक्रय मूल्य सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एम0एम0-11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हे सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली 2021 के नियम-60 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।



MAK

R

- (6) पट्टेदार 03 मीटर की गहराई अथवा जल स्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियाएं नहीं करेगा।
- (7) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।
- (8) नदी की जल धारा में सक्शन मशीन, लिफ्ट आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
- (9) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहाँ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।
- (10) यदि पट्टाधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बताने का युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।
- (11) मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।
- (12) नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।
- (13) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारकों को मान्य होगा।
- (14) स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुए अन्य शर्तें जो जिलाधिकारी द्वारा उचित समझी जाये, खनन पट्टा विलेख में सम्मिलित की जा सकेगी।

(प्रवीण कुमार लक्षकार)  
जिलाधिकारी,  
मीरजापुर।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- आयुक्त विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
- 3- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
- 4- प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, सोनभद्र।
- 5- शाखा प्रबन्धक, मे0 एम0एस0टी0सी0 लिमिटेड, ग्राउन्ड फ्लोर, सीडब्ल्यूसी क्षेत्रीय कार्यालय परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 6- उपजिलाधिकारी, सदर/लालगंज/मड़िहान/घुनार, मीरजापुर।
- 7- समस्त तहसीलदार, जनपद मीरजापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विज्ञापित को सम्बन्धित क्षेत्रों के ग्राम प्रधान के माध्यम से व्यापक प्रचार/प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
- 8- नाजिर कलेक्ट्रेट को सूचना बोर्ड पर चरप्पा हेतु।
- 9- सूचना बोर्ड पर चरप्पा हेतु।

04  
27/04  
जिलाधिकारी,  
मीरजापुर।

Solemnly affirmed before me by the  
Deponent who indentified by Sir. *Smt. Rajyanka Mishra*  
D. M.  
Clerk/or..... Advocate on.....  
have satisfied myself by examining the  
Deponent that he/she understands the  
contents of the document and the contents  
read over and explained by me, Serial  
No. *402* Time .. *11:25* Received Rs. *250*

Signature of the Notary



KV6500710711N

प्रति का दिनांक 23/12/23  
 प्रमाणित (CO) प्रमाणित / 08/11/2023

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

पत्रांक- 268 /15-1 दिनांक, प्रयागराज, दिसम्बर, 14, 2023

जिलाधिकारी  
 मिर्जापुर  
 18/11/23

सेवा में,

जिलाधिकारी  
 प्रयागराज, मिर्जापुर एवं भदोही।

विषय- जनपद-प्रयागराज, भदोही एवं मिर्जापुर अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आवद्ध 30 किमी तक फैले क्षेत्र जिसे उ0प्र0 शासन की अधिसूचना सं0-346/81-4-2020-823/2008 टी0सी0, दिनांक 17.03.2020 द्वारा कछुआ वन्य जीव विहार घोषित किया गया है में बालू खनन, पट्टाधारकों द्वारा बालू खनन व नाविको/स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किये जा रहे गलत शिकार को प्रतिबन्धित किये जाने के

- (1) पंजीकृत संख्या-11/17.03.2020
- (2) क्रम संख्या-सम्बन्ध में।
- (3) दिनांक-18/12/23

सन्दर्भ- उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 का पत्रांक-502/81-4-2020, दिनांक 23.06.2020

महोदय, उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो इस कार्यालय के साथ आपको भी प्रतिलिपि हे का अवलोकन करने का कष्ट करे। जैसा कि अवगत है कि उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 संख्या-346/81-4-2020-823/2008 टी0सी0 लखनऊ, दिनांक 17.03.2020 द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 की धारा-18 की उपधारा (1) के अधीन श्री राज्य पाल महोदय द्वारा जनपद-भदोही, प्रयागराज एवं मिर्जापुर के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आवद्ध 30 किमी0 लम्बाई में फैले क्षेत्र को कछुआ वन्य जीव विहार के रूप में स्थापित करने का घोषणा की गयी है।

11/17/2020

अनुसूची

MO  
 29/12/23  
 खजलि  
 23/12/23

जिला	नदी का नाम	कछुआ वन्यजीव विहार का क्षेत्र
1	2	3
प्रयागराज, भदोही और मिर्जापुर	गंगा	गंगा नदी के दोनों तटों से सीमावद्ध गंगा नदी के मुख्य धारा का 30 किमी0 लम्बाई में फैला क्षेत्र
तामर	पूर्व (नदी का दायाँ प्रवाह)	ग्राम-तामरपुर उपरहार, ज्ञानपुर, जिला-भदोही की राजस्व सीमा में- अधारा- 25 273769 देशान्तर- 82 287406
	पश्चिम (नदी का बायाँ प्रवाह)	ग्राम-कोटरी मंजा, जिला-प्रयागराज की राजस्व सीमा में- अधारा- 25 215000 देशान्तर- 82 194814
	उत्तर	गंगा नदी का उत्तरी तट
	दक्षिण	गंगा नदी का दक्षिणी तट

ज्ञातया ही कि उपरोक्त कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आवद्ध 30 किमी0 लम्बाई में जनपद-प्रयागराज के तहसील-मेजा, जनपद-भदोही के तहसील-ज्ञानपुर व जनपद-मिर्जापुर के तहसील-सदर अन्तर्गत स्थित विभिन्न ग्रामों की सीमाये गंगा नदी की सीमा से मिलती है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

जनपद प्रयागराज- इस जनपद के तहसील-मेजा के विभिन्न ग्रामों-कोटरी, अछोला, चौकडा नरवर, चौकडा उपरहार, कुशवा उपरहार, कमी हेठार, वेरूकन, उमापुर, डेगुरपुर, महेवासुर्द, महेवाकला, बादपुर कछार, बादपुर उपरहार, बामपुर कछार एवं बामपुर उपरहार की सीमाये गंगा नदी की सीमा से मिलती है।

जनपद मिर्जापुर- इस जनपद के तहसील-सदर के विभिन्न ग्रामों-मिश्रपुर, नगवारी, बरोवरा कला, खैरा, गोगांव, कला देवारी मुसीत काती सरपली, गोरपुर सतलपत्ती बरोवरा खुर्द, बजता, अजीथेरा, चकचोहरा एवं चककौन की सीमाये गंगा नदी की सीमा से मिलती है।

जनपद भदोही- इस जनपद के तहसील-ज्ञानपुर के विभिन्न ग्रामों-कूपुरा उपरवार, बकत उपरवार एवं बारीपुर, बारीपुर उपरवार, गुरी उपरवार, बकिना उपरवार, छेठुआ उपरवार, हरिरामपुर उपरवार, पुरेदुखा, इतहरा उपरवार, कलिक मवेवा उपरवार, कुण्डीकला उपरवार, कुण्डी खुर्द उपरवार, लखनपुर भदरान उपरवार, मरहात उपरवार, मवेवावास गोली उपरवार, मवेवा चरिम उपरवार, नारेपर उपरवार, शेरपुर उपरवार, तरही उपरवार, तुलरी कला उपरवार, छेठुवारी बनकरताशे एवं बारीपुर, भगौरी तारी, गुरीतारी इतहरा तारी, कलिक मवेवा तारी, कुण्डी कला तारी, कुण्डी खुर्द तारी, लखनपुर भदरा तारी, मवेवा थान सिंह तारी, साझरा तारी एवं हरिरामपुर तारी की सीमाये गंगा नदी की सीमा से मिलती है।



Handwritten signature

Handwritten mark

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशानुसार वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 की धारा-18-बी के तहत जिलाधिकारी प्रयागराज, मिर्जापुर तथा भदोही को सम्बन्धित जनपद के अन्तर्गत करने वाले क्षेत्र हेतु कलेक्टर एवं तत्काल वन्य जीव विहार को प्रभागीय जलाधिकारी प्रयागराज के नियन्त्राधीन रखने पर श्री राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 01/01/2011 को जारी की गई है। साथ ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अन्तर्गत 10/10/2011 (दि. 10/10/2011) के दिनांक 03/02/2011 के माइक्रोसाइट्स के सम्बन्ध अनुपालन एवं तत्काल आदेश दिनांक 03/06/2012 के दिनांक 04/04/2011 के वेबसाइट पर तत्काल वन्य जीव संरक्षण में खनन कार्य को प्रतिबन्धित किया गया है। साथ ही तत्काल आदेश के तहत वन्य जीव विहार, प्रयागराज की सीमा से वाटर कम से कम 10 किमी की दूरी तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव ज़ोन बनाया जाना है जो प्रक्रिया में है। मात सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार इको सेंसिटिव ज़ोन का निर्धारण न होने की दशा में 10 किमी की परिधि को इको सेंसिटिव ज़ोन माना जायेगा।

अतः उपरोक्त जल्दा के तहत में अनुसंधान है कि मात सर्वोच्च न्यायालय के तत्काल आदेश व सन्दर्भित शासनादेश के तहत में तत्काल वन्य जीव विहार में कछुओं व अन्य जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा नदी के दोनों किनारे आकर 20 किमी लम्बाई में फैले क्षेत्र में व इसकी सीमा से वाटर कम से कम 10 किमी तक (इको सेंसिटिव ज़ोन) में बालू खनन हेतु कोई नवीन खनन पट्टा स्वीकृत न किया जाये तथा पूर्व स्वीकृत बालू खनन पट्टों को तत्काल निरस्त करने की कार्यवाही करने का कष्ट करे, ताकि नव स्थापित कछुआ वन्य जीव विहार में वन्य जीव अधिनियम के प्राधान्यों एवं मात सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का विरही तरह का उल्लंघन न होने पाए।

*(Handwritten Signature)*

(महावीर कौजलगी)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक चानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

संख्या / समदिनांक।

1. प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी क्षेत्र उ०प्र०, प्रयागराज/मंडलीय मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर क्षेत्र, मिर्जापुर।
2. प्रतिलिपि- महालायकृत प्रयागराज एवं मिर्जापुर।
3. प्रतिलिपि- वन संरक्षक, प्रयागराज वृत्त, प्रयागराज।
4. प्रतिलिपि- प्रभागीय जलाधिकारी, भदोही एवं मिर्जापुर को सूचनाार्थ एवं इस आशय से प्रेषित की अपने जनपद अन्तर्गत गंगा नदी एवं आरा-पारा के क्षेत्र में खनन अनापत्ति देने से पूर्व वन्य-जीव विहार एवं 10 किमी इको सेंसिटिव ज़ोन के प्रविधानों का ध्यान में रखे एवं विरही तरह का उल्लंघन न हो तथा पुराना कोई नदी में बालू खनन पट्टे प्रचलित हो तो उपरोक्तानुसार सम्बन्धित अधिकारियों को ध्यानाकर्षित कर विधिक कार्यवाही करने का कष्ट करे।
5. प्रतिलिपि- जिला खनन अधिकारी, प्रयागराज, मिर्जापुर एवं भदोही को इस आशय से प्रेषित कि जनपद के अन्तर्गत गंगा नदी एवं आरा-पारा के क्षेत्र में बालू खनन पट्टा देने से पूर्व कछुआ वन्य जीव विहार एवं 10 किमी का इको सेंसिटिव ज़ोन के प्रविधानों का ध्यान में रखे जिससे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्राधान्यों एवं मात सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का विरही तरह का उल्लंघन न हो।

*(Handwritten Signature)*

(महावीर कौजलगी)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक चानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

Solemnly affirmed before me by Sr. *(Signature)*  
Deponent who indentified by Sri. *(Signature)*  
Clerk/or..... Advocate on.....  
I have satisfied myself by examining the  
Deponent that he/she understands the  
contents of this document and the contents  
read over and explained by me, Serial  
No. *(Number)* Time... *(Time)* Reserved (RS)

Signature of the Notary  
18  
Sunil Kumar Pandey  
Dist. Head Quarter  
R. N. 28 (09)/2000  
Exp. Dt. 07/12/26  
MIRZAPUR (U.P.) INDIA 2024

## कार्यालय जिलाधिकारी गीरजापुर

(खानिज अनुभाग)

पत्रांक: 1706, खानिज एवं निविदा सह ई-नीलामी/वाल्/2021

दिनांक: 02/02/2021

सेटर आफ इन्टेट

उत्तर प्रदेश एवं खानिज (परिहार) (सेवाधिसर्वो संशोधन) नियमावली 2019 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश शासन, भूतल एवं खानिज अनुभाग के निर्गत शासनादेश संख्या-2168/86-2019-51(गो)/2017 टीसी 1 दिनांक 09/10/2019 में दिये गये निर्देशानुसार नियमावली-1963 के अध्याय-4 के प्रावधानों के अन्तर्गत ई-निविदा सह ई-नीलामी पणाली के माध्यम से साधारण बालू (गंगा नदी) के स्थित खनन क्षेत्रों को खनन पट्टे पर स्वीकृत किया जाने हेतु कार्यालय पत्रांक 1252/खानिज/ई-निविदा सह ई-नीलामी/वाल्/2020 दिनांक 04/12/2020 द्वारा दिनांक 05/01/2021 से 08/01/2021 तक ई-निविदा आमंत्रित की गयी। नियत दिनांक 11/01/2021 को ई-नीलामी की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त MSIC से प्राप्त E-mail दिनांक 19/01/2021, जिसमें क्रमांक 2 पर उचित जनपद गीरजापुर के तहसील सदर स्थित ग्राम गोवांव के आराजी संख्या 03गि0/3 रकबा 5.00 हे. साधारण बालू (गंगा नदी) की मात्रा 100000 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु श्री प्रशान्त मोर्या पता सुन्दर घाट, गढ़वरिया, गीरजापुर द्वारा सर्वोत्तम बोली ₹ 74/- प्रति घन मीटर की दर से बोली लगायी गयी है। शासनादेश के अनुसार समिति की संस्तुति दिनांक 22/01/2021 के क्रम में निम्न शर्तों के अधीन ई-नीलाम खनन पट्टा स्वीकृत किया जाता है:-

क्षेत्र का विवरण:-

खानिज क्रमांक	क्षेत्र का विवरण				Latitude (N)	Longitude (E)
	तहसील	ग्राम	पट्टा सं०	क्षेत्रफल (हे० में)		
2	सदर	गोवांव	03गि/3	5.00	A-25°13'08.3" B-25°12'57.9" C-25°12'52.4" D-25°12'58.4"	A-82°15'13.7" B-82°15'18.8" C-82°15'11.8" D-82°15'07.5"

- प्रथम वर्ष के लिए देय नीलामी धनराशि की गणना ईगारती पत्थर सैण्ड स्टोन की 100000 घन मी० को निविदा/नीलामी की दर ₹ 74/- प्रति घन मी० से गुणा कर निकाली जायेगी। प्रथम वर्ष के लिए प्राप्त बोली की दर में अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की दर पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जायेगी तथा तदनुसार अनुवर्ती वर्षों की नीलामी धनराशि में वृद्धि होगी।
- सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे के निर्धारणों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि ₹ 7400000 के 25 प्रतिशत की धनराशि ₹ 1850000 और स्थानित की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत की धनराशि ₹ 1850000 में से अर्नरेट मनी की धनराशि ₹ 1625000 समायोजन के उपरान्त ₹ 225000 इस प्रकार कुल ₹ 2075000 दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करेगा।
- पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्तें एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/निविदा के अन्तर्गत प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ नियमावली-1963 के अनुबन्ध अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी।
- पट्टेधारक नियम-32 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा तथा नियम-35 के अनुसार सोमा स्थान लगायेगा एवं इसका अनुपालन करेगा।
- सर्वानित आवेदक नियम-34 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना माहिरा कंदाज प्लान एवं माहिरा सरकार के वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय की अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 संशोधित अधिसूचना दिनांक 15/01/2016 तथा समय-समय पर क्या संबंधित उपबन्धों के अधीन पर्यावरण अनुमति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।
- प्रत्येक पट्टेधारक द्वारा नियम-34 के अनुसार क्षेत्र के भूमि-उत्थार और पुनर्वासन उपाय हेतु वित्तीय आवेदन की धनराशि निर्धारित शीत से जमा करेगा।



(7) सेक्टर आफ इन्डिया लॉयर्स सोसायटी के एक माद के अन्दर अनुमोदन हेतु खानन योजना निदेशक, भुवनेश्वर एवं सविनयों के समस्त पदपूर्त किया जायेगा तथा अनुमोदित खानन योजना प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर सार्वजनिक प्रकाशन के समस्त प्रवर्तन सम्बन्ध प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः श्री प्रशान्त मौर्या पता सुन्दर घाट, महुवरिया, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त घन्सारी अर्थात् पान्चवर्ग लघुम के निर्धारित लेखा शीर्षक "1053" में ट्रेजरी खातान के माध्यम से जमा कर वाधित अधिलेख एवं अनुमोदित खानन योजना तथा पर्यावरण सम्बन्ध प्रमाण पत्र गन्धारीय वनसंरक्षण में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे खानन पट्टा विपदायन की कार्यवाही की जा सके।

*[Signature]*  
जिलाधिकारी,  
मीरजापुर।  
9/12

पत्रक के दिनांक उपरोक्त।  
सहित निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सविनय भुवनेश्वर एवं सविनय अनुभाग 3020 शारन लखनऊ।
2. निदेशक भुवनेश्वर एवं सविनय निदेशालय, 3020, सविनय भवन, लखनऊ।
3. राज्या पत्र-पत्रक MSIC Ltd, लखनऊ।
4. प्रमोरी अधिकारी, भुवनेश्वर एवं सविनय विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय सोनभद्र।
5. खान अधिकारी, मीरजापुर।
6. उप जिलाधिकारी, सदर, मीरजापुर।
7. श्री प्रशान्त मौर्या पता सुन्दर घाट, महुवरिया, मीरजापुर।

*[Signature]*  
02/02  
जिलाधिकारी,  
मीरजापुर।  
*[Signature]*

*[Signature]*      *[Signature]*

*[Signature]*

Solemnly affirmed before me by Sr. *[Signature]* *Priyanka Nandan*  
Deponent who identified by Sri. *D. M.*  
Clerk of..... Advocate on.....  
I have satisfied myself by examining the  
Deponent that he/she understands the  
contents of the affidavit and the contents  
read over and explained by me, Serial  
No. *1945* Time .. *19:45* .. Received By ..  
*[Signature]*



576

ENVIRONMENTAL  
CLEARANCE

PARIVESH

(Pro-Active and Responsive Facilitation by Interactive,  
and Virtuous Environmental Single-Window Hub)

Government of India  
Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
(Issued by the State Environment Impact Assessment  
Authority (SEIAA), Uttar Pradesh)

To

The Proponent  
SHRI PRASHANT MAURAYA  
sondar ghat mahua mirzapur UP -231001

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity  
under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC)  
in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number  
SIA UP MIN 79881/2021 dated 21 Jul 2022. The particulars of the environmental  
clearance granted to the project are as below.

1. EC Identification No.	EC22B001UP125833
2. File No.	7194-6308
3. Project Type	New
4. Category	B1
5. Project/Activity including Schedule No.	1(a) Mining of minerals
6. Name of Project	Sand Mining Project*
7. Name of Company/Organization	SHRI PRASHANT MAURAYA
8. Location of Project	Uttar Pradesh
9. TOR Date	13 Dec 2021

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page  
no 2 onwards.

Date: 05/12/2022

(e-signed)  
Member Secretary  
Member Secretary  
SEIAA - (Uttar Pradesh)

Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification  
number & E-Sign generated from PARIVESH. Please quote identification  
number in all future correspondence.

This is a computer generated cover page.

EC Identification No. - EC22B001UP125833 File No. - 7194-6308 Date of Issue EC - 05/12/2022 Page 1 of 12



Handwritten signature/initials

Handwritten initials

Handwritten number 24

Scanned with OKEN Scanner



577

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand I, Gomti Nagar, Lucknow- 226010
E-Mail: doeuipkn@yahoo.com, seiaaup@yahoo.com
Phone no: 0522-2430541

Reference- MoEFCC Proposal no- SIA/UP/MIN/79881/2021 & SEIAA, U.P File no-7194-6308

Sub: Environmental Clearance for Proposed Sand Mining Project at Gata No.- 03mi, Khand No.- 03, Village- Gogaon, Tehsil- Sadar, District-Mirzapur, U.P., (Leased Area: 5.0 Ha.).

Dear Sir,

This is with reference to your application / letter dated 27-05-2021, 06-8-2021, 21-7-2022, 11-8-2022 & 07-10-2022 on above mentioned subject. The matter was considered by 701th SEAC in meeting held on 11-11-2022 and 673th SLIAA in meeting held on 22-11-2022.

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s Environmental Research and Analysis, Lucknow, U.P to SEAC on 11-11-2022.

Project Details Informed by the Project Proponent and their Consultant

The project proponent, through the documents and presentation gave following details about their project -

- 1 The environmental clearance is sought for "Sand Mining Project" at Gata No.- 03mi, Khand No.- 03, Village- Gogaon, Tehsil- Sadar, District-Mirzapur, U.P., (Leased Area: 5.0 Ha.).
2 The terms of reference in the matter were issued by SEIAA, U.P. Ref. no. 350/Parya/SEIAA/6308/2021, dated 13/12/2021.
3 The public hearing was organized on 18/08/2022. Final EIA report submitted by the project proponent on 21/07/2022.
4 Salient features of the project as submitted by the project proponent:

Table with 16 rows detailing project information such as On-line proposal No., File No., Name of Proponent, Project location, Name of River, Name of Village, Tehsil, District, Name of Minor Mineral, Sanctioned Lease Area, Mineable Area, Zero level mRL, Max. & Min. mrl within lease area, and Pillar Coordinates.



Scanned with OKEN Scanner

	B	25°12'57.90"N	82°15'18.80"E
	C	25°12'52.40"N	82°15'11.80"E
	D	25°12'58.40"N	82°15'07.50"E
17. Total Geological Reserves	1,95,772 m <sup>3</sup>		
18. Sanction Quantity as per IOI	1,00,000 m <sup>3</sup> per year as per IOI		
19. Total Proposed Production (in five year)	5,00,000 m <sup>3</sup> in five year		
20. Proposed Production/year	1,00,000 m <sup>3</sup> per year		
21. Sanctioned Period of Mine lease	5 Years		
22. Method of Mining	Open cast, semi mechanized		
23. No. of working days	250		
24. Working hours/day	8 hours/day		
25. No. of workers	Approximately 40		
26. No. of vehicles movement/day	33-40 Vehicles movement/day		
27. Type of Land	Government Land		
28. Ultimate Depth of Mining	3.0 m		
29. Nearest metalled road from site	NH-76 is 6.83 km towards South direction from the project site.		
30. Water Requirement	PURPOSE	REQUIREMENT (KLD)	
	Drinking water	0.50 KLD	
	Dust suppression	2.313 KLD	
	Plantation	5.0 KLD	
	Others (if any)	-	
	Total	7.81 KLD (Approx. )	
31. Name of QCI Accredited Consultant with QCI No. And period of validity.	Environmental Research and Analysis, Lucknow (U.P) Certificate No. NABET/ EIA/ 1922/RA 0200 Valid up to 30 Dec, 2022		
32. Any litigation pending against the project or land in any court	No		
33. Details of 500 m Cluster Map & certificate issued by Mining Officer	Letter No. 1789/ KHANIJ/K.SA./2020-21 Date- 12/02/2021		
34. Details of Lease Area in approved DSR	Page No- 19 Sr. No- 3		
35. Proposed E/M/P cost	Rs. 18,85,974/-		
36. Proposed Total Project cost	Rs. 97,00,000 /-		
37. Length and breadth of Haul Road	257m length and 6.0 m width		
38. No. of Trees to be Planted	5000		
39. Monitoring period	Monitoring period 01/03/2021 to 31/05/2021		

5. The mining would be restricted to unsaturated zone only above the phreatic water table and will not intersect the ground water table at any point of time.
6. This project does not attract any of the general conditions applicable on mining projects specified in EIA Notification 14/09/2006.
7. The mining operation will not be carried out in safety zone of any bridge or embankment or in eco-fragile zone such as habitat of any wild fauna.
8. There is no litigation pending in any court regarding this project.
9. The project proposal falls under category-I(a) of EIA Notification, 2006 (as amended).

Based on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee Meeting (SEAC) held on 11-11-2022 the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) in its Meeting



held 22-11-2022 and decided to grant the Environmental Clearance to the title project for collection of 1,00,000 m<sup>3</sup> /Annum of lease area of 05 ha subject to effective implementation of the following General Conditions and specific conditions:-

**General condition:**

1. This environmental clearance is subject to allotment of mining lease in favour of project proponent by District Administration/Mining Department.
2. Forest clearance shall be taken by the proponent as necessary under law.
3. Any change in mining area, Khasta numbers, entailing capacity addition with change in process and or mining technology, modernization and scope of working shall again require prior Environmental Clearance as per the provisions of EIA Notification, 2006 (as amended).
4. Precise mining area will be jointly demarcated at site by project proponent and officials of Mining/Revenue department prior to starting of mining operations. Such site plan, duly verified by competent authority along-with copy of the Environmental Clearance letter will be displayed on a hoarding/board at the site. A copy of site plan will also be submitted to SEIAA within a period of 02 months.
5. Mining and loading shall be done only within day hours' time.
6. No mining shall be carried out in the safety zone of any bridge and/or embankment.
7. It shall be ensured that standards related to ambient air quality/effluent as prescribed by the Ministry of Environment & Forests are strictly complied with. Water sprinklers and other dust control majors should be applied to take-care of dust generated during mining operation. Sprinkling of water on haul roads to control dust will be ensured by the project proponent.
8. All necessary statutory clearances shall be obtained before start of mining operations. If this condition is violated, the clearance shall be automatically deemed to have been cancelled.
9. Parking of vehicles should not be made on public places.
10. No tree-felling will be done in the leased area, except only with the permission of Forest Department.
11. No wildlife habitat will be infringed.
12. It shall be ensured that excavation of minor mineral does not disturb or change the underlying soil characteristics of the river bed /basin, where mining is carried out.
13. It shall be ensured that mining operation of Sand/Moram will not in any way disturb the, velocity and flow pattern of the river water significantly.
14. It shall be ensured that there is no fauna dependant on the river bed or areas close to mining for its nesting. A report on the same, vetted by the competent authority shall be submitted to the RO, PCB and SEIAA within 02 months.
15. Primary survey of flora and fauna shall be carried out and data shall be submitted to the RO, PCB and SEIAA within six months.
16. Hydro-geological study shall be carried out by a reputed organization/institute within six months and establish that mining in the said area will not adversely affect the ground water regime. The report shall be submitted to the RO, PCB and SEIAA within six months. In case adverse impact is observed /anticipated, mining shall not be carried out.
17. Adequate protection against dust and other environmental pollution due to mining shall be made so that the habitations (if any) close by the lease area are not adversely affected. The status of implementation of measures taken shall be reported to the RO, UPPCB and SEIAA and this activity should be completed before the start of sand mining.
18. Need-based assessment for the nearby villages shall be conducted to study economic measures which can help in improving the quality of life of economically weaker section of society. Income generating projects/tools such as development of fodder farm, fruit bearing orchards, vocational training etc. can form a part of such program me. The project proponent



- shall provide separate budget for community development activities and income generating programmes.
19. Green cover development shall be carried out following CPCB guidelines including selection of plant species and in consultation with the local DFO/Horticulture Officer.
  20. Separate stock piles shall be maintained for excavated top soil, if any, and the top soil should be utilized for green cover/tree plantation.
  21. Dispensary facilities for first-aid shall be provided at site.
  22. An Environmental Audit should be annually carried out during the operational phase and submitted to the SEIAA.
  23. The District Mining Officer should quarterly monitor compliance of the stipulated conditions. The project proponent will extend full cooperation to the District Mining Officer by furnishing the requisite data/information/monitoring reports. In case of any violations of stipulated conditions the District Mining Officer will report to SEIAA.
  24. The project proponent shall submit six monthly reports on the status of compliance of the stipulated environmental clearance conditions including results of monitored data (both in hard & soft copies) to the SEIAA, the District Officer and the respective Regional Office of the State Pollution Control Board by 1st June and 1st December every year.
  25. A copy of the clearance letter shall be sent by the proponent to concerned Panchayat, Zila Parishad/ Municipal Corporation and Urban Local Body.
  26. Transportation of materials shall be done by covering the trucks / tractors with tarpaulin or other suitable mechanism to avoid fugitive emissions and spillage of mineral/dust.
  27. Waste water, from temporary habitation campus be properly collected & treated before discharging into water bodies the treated effluent should conform to the standards prescribed by MoEF/CPCB.
  28. Measures shall be taken for control of noise level to the limits prescribed by C.P.C.B.
  29. Special Measures shall be adopted to protect the nearby settlements from the impacts of mining activities. Maintenance of Village roads through which transportation of minor minerals is to be undertaken, shall be carried-out by the project proponent regularly at his own expenses
  30. Measure for prevention & control of soil erosion and management of silt shall be undertaken. Protection of dumps against erosion, if any, shall be carried-out with geo textile matting or other suitable material.
  31. Under corporate social responsibility a sum of 5% of the total project cost or total income whichever is higher is to be earmarked for total lease period. Its budget is to be separately maintained CER component shall be prepared based on need of local habitant. Income generating measures which can help in upliftment of poor section of society, consistent with the traditional skills of the people shall be identified. The programme can include activities such as development of fodder farm, fruit bearing orchards, free distribution of smokeless Chula etc
  32. Possibility for adopting nearest three villages shall be explored and details of civic amenities such as roads, drinking water etc proposed to be provided at the project proponent's expenses shall be submitted within 02 months from the date of issuance of Environment Clearance.
  33. The funds earmarked for environmental protection measures should be kept in separate account and should not be diverted for other purpose. Year wise expenditure should be reported to the Integrated Regional Office, MoLF&CC, GoI, Lucknow, SEIAA, U.P and UPPCB.
  34. Action plan with respect to suggestion/improvement and recommendations made and agreed during Public Hearing shall be submitted to the District mines Officer, concern Regional Officer of UPPCB and SEIAA within 02 months.



35. Environmental clearance is subject to obtaining clearance under the Wildlife (Protection) Act, 1972 from the competent authority, if applicable to this project.
36. The proponent shall observe every 15 day for nesting of any turtle in the area. Based on the observations so made, if turtle nesting is observed, necessary safeguard measures shall be taken in consultation with the State Wildlife Department. For the purpose, awareness shall be created amongst the workers about the nesting sites so that such sites, if any, are identified by the workers during operations of the mine for taking required safeguard measures. In this regard the safety notified zone should be left so that the habitat/nesting area is undisturbed.
37. The project proponent shall undertake adequate safeguard measures during extraction of river bed material and ensure that due to this activity the hydro geological regime of the surrounding area shall not be affected.
38. The project proponent shall obtain necessary prior permission of the competent Authorities for withdrawal of requisite quantity of water (surface water and groundwater), required for the project.
39. Appropriate mitigative measures shall be taken to prevent pollution of the river in consultation with the State Pollution Control Board. It shall be ensured that there is no leakage of oil and grease in the river from the vehicles used for transportation.
40. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. The vehicles carrying the mineral shall not be overloaded.
41. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. (MoEF circular Dated : 22-09-2008 regarding stipulation of condition to improve the living conditions of construction labour at site).
42. Personnel working in dusty areas should wear protective respiratory devices and they should also be provided with adequate training and information on safety and health aspects. Occupational health surveillance program of the workers should be undertaken periodically to observe any contractions due to exposure to dust and take corrective measures, if needed.
43. A copy of the clearance letter shall be sent by the proponent to concerned Panchayat, Zila Parishad/ Municipal Corporation, Urban Local Body and the Local NGO, if any, from whom suggestions/ representations, if any, were received while processing the proposal. The clearance letter shall also be put on the website of the Company by the proponent.
44. The environmental statement for each financial year ending 31st March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of environmental clearance conditions and shall also be sent to the Integrated Regional Office, MoEF&CC, Gol, Lucknow by e-mail.
45. The green cover development/tree plantation is to be done in an area equivalent to 20% of the total leased area either on river bank or along road side (Avenue Plantation).
46. Debris from the river bed will be collected and stored at secured place and may be utilized for strengthen the embankment.
47. Safety measures to be taken for the safety of the people working at the mine lease area should be given, which would also include measure for treatment of bite of poisonous reptile/insect like snake.
48. Periodical and Annual medical checkup of workers as per Mines Act and they should be covered under ESI as per rule.



Specific Conditions:

1. Validity period of this EC is 5 years from the date of issue as the Lol has been issued for a period of 5 years or co-terminus with the validity of current mine plan or current lease period whichever is earlier. After this period the EC will become null and void.
2. In the absence of replenishment study, in compliance of Hon'ble NGT Order dated 06.05.2022 initially the EC will be operational till 31.12.2022. Permissible quantity and area shall be strictly limited to quantity and area mentioned in Lol or mining plan, whichever is lesser, and maximum mineable depth will be limited to as approved in the mining plan.
3. For subsequent years, Project Proponent shall submit fresh annual replenishment study to SEIAA, UP for amendment in EC for mineable quantity and maximum permissible depth for mining based on scientific findings of replenishment study. Such study shall be placed before SEAC for appraisal for next three years to assess rate of deposition and accordingly, mineable production capacity and depth can be prescribed based on trends analysis, provided it is found scientifically satisfactory by the SEAC. The placing of the study report SEAC is mandatory for initial three years.
4. Directions/suggestions given during public hearing and commitment made by the project proponent should be strictly complied.
5. A certificate from Forest Department shall be obtained that no forest land is involved in mining or as a route and if forest land is involved the project proponent shall obtain forest clearance and permission of Central and State Government as per the provisions of Forest (conservation) Act, 1980 and submit before the start of work.
6. The mining lease holders shall, after ceasing mining operations, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora fauna etc.
7. If the proposed project is situated in notified area of ground water extraction, where creation of new wells for ground water extraction is not allowed, requirement of fresh water shall be met from alternate water sources other than ground water or legally valid source and permission from the competent authority shall be obtained to use it.
8. Project Proponent should submit action plan for carrying out plantation at least @1,000 plants / ha of lease area. In this case, PP should prepare a plan, duly approved either by Forest Department or Horticulture Department, for planting at least 5,000 plants, either on government land or community land, within a periphery of 5 km from the boundary of the lease area along with provision for maintenance for 5 years. Survival of plants should not be less than the survival rate notified by Uttar Pradesh Forest Department otherwise it will be treated as violation of EC condition.
9. In consultation with District Environment Authority or an Authority nominated by concerned DMA, project proponent will prepared a conservation and management plan for rejuvenation and management of water bodies having total surface area of more than 25 ha. Funds for the same will be kept in a separate bank account and six monthly compliance status will be presented by project proponent before the nominated authority in the District.
10. Department of Geology and Mines, Government of Uttar Pradesh and / or concerned district administration, before releasing the security deposit to Project Proponent will ensure that Project Proponent has fully complied with the EC conditions. Non-compliance, if any, should be reported to UPSPCB for appropriate legal action and recovery of compensation.
11. Any application for transfer of this EC, during its validity period unless it is cancelled by a competent authority, has to be necessarily accompanied with status of compliance of EC conditions duly certified by IRO, MoEFCC, GoI, Lucknow.

EC Identification No - FC22B001UP125333 File No - 7194-6308 Date of Issue EC - 05/12/2022 Page 7 of 12



Scanned with OKEN Scanner

12. Number of mining projects are coming up in district. Department of Geology & Mines, GoUP to carry out regional EIA-EMP report including carrying capacity of environmental components to assess the capacity to further bear the pollution load for such areas within a period of 1 year and submit the same to SEIAA, UP for evaluation.
13. Department of Geology & Mines, GoUP in consultation with UPSPCB will establish required number of CAAQMS in district within a period of one year and submit geo-referenced map of these stations along with data. Details of existing CAAQMS, if any, be submitted within a period of three months.
14. Large number of mining projects are ongoing as well as new mining leases are coming up in the district. A reference be sent to DGM and MS, SPCB for preparing mitigation plan for controlling air pollution in the district especially in mining areas.
15. If the air quality deteriorates due to mining, then District Administration & Directorate of Mining should ensure that mining be stopped immediately. Adequate measures be taken for restoring air quality and mining should commence only when air quality attains the prescribed standards.
16. In compliance of Hon'ble NGT Order dated 06.05.2022, for subsequent years, Project Proponent shall submit fresh annual replenishment study to SEIAA, UP for amendment in EC for mineable quantity and maximum permissible depth for mining based on scientific findings of replenishment study. Such study shall be placed before SEAC for appraisal for next three years to assess rate of deposition and accordingly, mineable production capacity and depth can be prescribed based on trends analysis, provided it is found scientifically satisfactory by the SEAC. The placing of the study report SEAC is mandatory for initial three years.
17. NOC from Irrigation Department/ Concerning Authority regarding river bed mining to be obtained before start of mining activity.
18. The project proponent shall install solar light in their site office.
19. During the submission of 6 monthly compliance reports, the project proponent should make sure that the periodically taken site photographs should also be annexed along with the compliance report.
20. Preference should be given to indigenous local species as per the consultation of the local district Forest Officer.
21. Link Road from the quarry site to the main road shall be constructed as an all-weather road with blacktopping and maintained by the project proponent.
22. Vehicular emissions should be kept under control and regularly monitored. Suitable measures shall be taken for proper maintenance of vehicles used in a quarry operation and transportation.
23. The project proponent should explore the possibilities of rainwater harvesting.
24. Agreement/ Consent between project proponent and competent authority/ landowner for haulage road from lease site to link road.
25. Latest technology (water sprinklers/ tankers) to be adopted for mitigating dust at source points in lease area and haulage road during operational activity/vehicular movement.
26. As per the proposed plan, plantation with area specific plant species, number of plants to be planted.
27. Water requirement details along with source of water and the permission/ agreement with the concerning authority/ water supplying agencies to be submitted.
28. Submit the study report of lease area that the quantity given in Lol will be mined without affecting the geo-hydrology of the River.
29. The Environmental clearance will be co-terminus with the mining lease period/mining plan whichever is less
30. At the time of operation, project proponent will comply with all the guidelines issued by Government of India/State Govt./District Administration related to Covid-19.
31. Environment management in according to environmental status and impact of the project.



32. During the school opening and closing time transportation of minerals will be restricted.
33. Selection of plants for green belt should be on the basis of pollution removal index. Project proponent should ensure survival of tree saplings. Mortality should be replaced from time to time.
34. No mining activity should be carried out in stream channel as per SSMMG, 2016.
35. Pakkamotorable haul road to be maintained by the project proponent.
36. A separate Environmental Management Cell with suitable qualified personnel shall be set-up under the control of a Senior Executive, who will report directly to the Head of the Organization.
37. Permission from the competent authority regarding evacuation route should be taken.
38. One month monitoring report of the area for air quality, water quality, Noise level. Besides flora & fauna should be examined twice a week and be submitted within 45 days for a record.
39. Provision for cylinder to workers should be made for cooking.
40. The capacity of trucks/tractor for loading purpose will be in tonnes as per Transport Department applicable norms and standard fixed by the Government.
41. Approach road kaccha is to be made motorable and tree saplings to be planted on both sides of the road. Width of the haul road shall be more than 6 meter.
42. Indigenous plants should be planted according to CPCB guidelines and in consultation with local Divisional Forest Officer.
43. The project proponent shall in 2 years conduct detailed replenishment study duly authenticated by a QCI NABET accredited consultant, and the District Mines Officer.
44. Provision for two toilets and hand pumps should be made at mining site.
45. Drinking water for workers would be provided by tankers.
46. Mining should be done by Bar scalping methods extraction (typically 0.3 -0.6 m or 1 - 2 ft) as per sustainable sand mining management guidelines 2016.
47. A buffer/safe zone shall be maintained from the habitation as per mining guidelines.
48. Corporate Environmental Responsibility (CER) plan shall be prepared by the project proponent and the details of the various heads of expenditure to be submitted as per the guidelines provided in the recent CER notification No. 22-65/2017-IA.III dated 01/05/2018.
49. Health/Insurance card, Medical claim, regular health check-up camps, facilities shall be provided to the regular/temporary/Contractual or any base workers. Copy of receipt shall be produced to the Directorate of Environment along with the compliance report.
50. Measure for conservation of water through rainwater harvesting and cleaning and maintenance of natural surface water bodies of the nearby areas may be considered as one of the activity in CER.
51. The excavated mining material should be carried and transported in such a way that no obstruction to the free flow of water takes place. Suitable measure should be taken and details to be provided to concern Department.
52. Submit annual replenishment report certified by an authorized agency. In case the replenishment is lower than the approved rate of production, then the mining activity / production levels shall be decreased / stopped accordingly till the replenishment is completed.
53. The project proponent shall ensure that if the project area falls within the eco-sensitive zone of National park/ Sanctuary prior permission of statutory committee of National board for wild life under the provision of Wildlife (Protection) Act, 1972 shall be obtained before commencement of work.
54. If in future this lease area becomes part of cluster of equal to or more than 05 ha. then additional conditions based on the EIA shall be imposed. The lease holder shall mandatorily follow cluster conditions otherwise it will amount to violation of E.C. conditions. If the certificate related to cluster provided by the competent authority is found false or incorrect then punitive actions as per law shall be initiated against the authority issuing the cluster certificate.



55. Project falling within 10 KM area of Wild Life Sanctuary is to obtain a clearance from National Board Wild Life (NBWL) even if the eco-sensitive zone is not earmarked.
56. To avoid ponding effect and adverse environmental conditions for sand mining in area, progressive mining should be done as per sustainable sand mining management guidelines 2016.
57. In case it has been found that the E.C. obtained by providing incorrect information, submitting that the distance between the two adjoining mines is greater than 500mt. and area is less than 05 ha but factually the distance is less than 500 mt and the mine is located in cluster of area equal or more than 05 ha, the E.C. issued will stand revoked.
58. The project proponent shall in 2 years conduct detailed replenishment study duly authenticated by a QCI-NABET accredited consultant, and the District Mines Officer which shall form the basis for midterm review of conditions of Environmental Clearance.
59. The mining work will be open-cast and manual/semi mechanized (subject to order of Hon'ble NGT/Hon'ble Courts (s)). Heavy machine such as excavator, scooper etc. should not be employed for mining purpose. No drilling/blasting should be involved at any stage.
60. It shall be ensured that there shall be no mining of any type within 03 m or 10% of the width which-ever is less, shall be left on both the banks of precise area to control and avoid erosion of river bank. The mining is confined to extraction of sand/moram from the river bank only.
61. The project proponent shall undertake adequate safeguard measures during extraction of river bank material and ensure that due to this activity the hydro-geological regime of the surrounding area shall not be affected.
62. The project proponent shall adhere to mining in conformity to plan submitted for the mine lease conditions and the Rules prescribed in this regard clearly showing the no work zone in the mine lease i.e. the distance from the bank of river to be left un-worked (Non mining area), distance from the bridges etc. It shall be ensured that no mining shall be carried out during the monsoon season.
63. The project proponent shall ensure that wherever deployment of labour attracts the Mines Act, the provision thereof shall be strictly followed.
64. The project proponent will provide personal protective equipment (PPE) as required, also provide adequate training and information on safety and health aspects. Periodical medical examination of the workers engaged in the project shall be carried out and records maintained. For the purpose, schedule of health examination of the workers should be drawn and followed accordingly.
65. The critical parameters such as PM10, PM2.5, SO2 and NOx in the ambient air within the impact zone shall be monitored periodically. Further, quality of discharged water if any shall also be monitored [(TDS, DO, pH, Fecal Coliform and Total Suspended Solids (TSS)].
66. Effective safeguard measures, such as regular water sprinkling shall be carried out in critical areas prone to air pollution and having high levels of particulate matter such as loading and unloading point and all transfer points. Extensive water sprinkling shall be carried out on haul roads.
67. It should be ensured that the Ambient Air Quality parameters conform to the norms prescribed by the Central Pollution Control Board in this regard.
68. The extended mining scheme will be submitted by the proponent before expiry of present mining plan.
69. Four ambient air quality-monitoring stations should be established in the core zone as well as in the buffer zone for monitoring PM10, PM2.5, SO2 and NOx. Location of the stations should be decided based on the meteorological data, topographical features and environmentally and ecologically sensitive targets and frequency of monitoring should be undertaken in consultation with the State Pollution Control Board.



70. Common road for transportation of mineral is to be maintained collectively. Total cost will be shared/worked out on the basis of lease area among users.
71. Proponent will provide adequate sanitary facility in the form of mobile toilets to the labours engaged for the project work.
72. Solid waste material viz., gutkhapouchs, plastic bags, glasses etc. to be generated during project activity will be separately storage in bins and managed as per Solid Waste Management rules.
73. Natural/customary paths used by villagers should not be obstructed at any time by the activities proposed under the project.
74. Digital processing of the entire lease area in the district using remote sensing technique should be done regularly once in three years for monitoring the change of river course by Directorate of Geology and Mining, Govt. of Uttar Pradesh. The record of such study to be maintained and report be submitted to Integrated Regional Office, MoEF&CC, Gol, Lucknow, SEIAA, U.P. and UPPCB.
75. The project authorities shall advertise at least in two local newspapers widely circulated, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned, within 7 days of the issue of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution Control Board and also at web site of the SEIAA at <http://www.seiaaup.in> and a copy of the same shall be forwarded to the Integrated Regional Office, MoEF&CC, Gol, Lucknow, CPCB, State PCB.
76. The MoEF&CC/SEIAA or any other competent authority may alter/modify the above conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.
77. Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
78. Any appeal against this environmental clearance shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 11 of the National Environment Appellate Authority Act, 1997.
79. Waste water from potable use be collected and reused for sprinkling.
80. A width of not less than 50 meter or 10% width of river can be restricted for mining activities from river bank. A condition can be imposed that mining will be done from river activities from river bank.

You shall also ensure that the proposed site is not a part of any no-development zone as required/prescribed/identified under law. In case of violation, this permission shall automatically deem to be cancelled. Also, in the event of any dispute on ownership or land use of the proposed site, this clearance shall automatically deem to be cancelled.

Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

The above stipulated conditions will be enforced inter-alia, under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along-with their amendments and rules made there under and also any other orders passed by the Hon'ble Courts of Law relating to the subject matter.

The project proponent will have to submit approved plans and proposals incorporating the conditions specified in the Environmental Clearance within 03 months of issuance of this clearance. The SEIAA/MoEF reserves the right to revoke the environmental clearance, if conditions stipulated are not implemented to the satisfaction of SEIAA/MoEF. SEIAA may impose additional environmental conditions or modify the existing ones, if necessary.



This is to request you to take further necessary action in matter as per provisions of Gazette Notification No. S.O. 1533(E) dated 14/09/2006, as amended and send regular compliance reports to the authority as prescribed in the aforesaid notification.

Copy, through email, for information and necessary action to -

1. The Principal Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh, Lucknow (email - [soenvups@rediffmail.com](mailto:soenvups@rediffmail.com))
2. Joint Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, 3rd Floor, Prithvi-Block, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003 (email - [sudheer.ch@gov.in](mailto:sudheer.ch@gov.in))
3. Deputy Director General of Forests (C), Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector "H", Aliganj, Lucknow - 226020 (email - [roc.lko-mef@nic.in](mailto:roc.lko-mef@nic.in))
4. District Magistrate Mirzapur.
5. Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, TC-12V, Paryavaran Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (email - [ms@uppcb.com](mailto:ms@uppcb.com))
6. Copy to Web Master for uploading on PARIVESH Portal.
7. Copy for Guard File.

(Ajay Kumar Sharma)  
Member Secretary, SEIAA

Signature Not Verified

Digitally signed by Member  
Secretary  
Member Secretary  
Date: 12/5/2022 5:59:39 PM  
Page 12 of 12

EC Identification No - EC226001UP125833 File No - 7194 6308 Date of Issue EC - 05/12/2022

Scanned with OKEN Scanner





588

ANNEXURE-R4

Uttar Pradesh Pollution Control Board
Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone 0522-2720828,2720831, Fax 0522-2720764, Email info@uppcb.in, Website www.uppcb.com

172278/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CFO/both/MIRZAPUR/2022

Date: 29/12/2022

To,

M/s

PRASHANT MAURYA

Gata No-03 Mi, Khand-03, Village- Gogaon, Tehsil-Sadar, District- Mirzapur, MIRZAPUR, 231001

Application Id- 18970382

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

CCA is hereby granted to PRASHANT MAURYA located at Gata No-03 Mi, Khand-03, Village- Gogaon, Tehsil-Sadar, District- Mirzapur, MIRZAPUR, 231001. subject to the provisions of the Water Act, Air Act and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA PRASHANT MAURYA granted for the period from 29/12/2022 to 31/12/2026 and valid for manufacturing of following products.

Table with 4 columns: S No, Product, Quantity, Unit. Row 1: 1, Sand, 100000, Cubic Meters/Year

2. Conditions under Water(Prevention and Control of Pollution) Act -1974 as amended :-

(i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

Table with 4 columns: Kind of Effluent, Quantity(KLD), Treatment facility, Discharge point. Row 1: Domestic, 2.0 KLD, Septic Tank, Soak Pit

(ii) Trade Effluent Treatment and Disposal :-The applicant shall operate Effluent Treatment Plant consisting of primary/secondary and tertiary treatment as is required with reference to influent quantity and quality.

In case of stoppage of functioning of ETP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(iii) The treated effluent shall be recycled to the maximum extent and should be reused within the premises for gardening etc. Quality of the treated effluent shall meet to the following general and specific standards as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 and applicable to the unit from time-to-time :-

Industrial Effluent Quality Standard

Table with 3 columns: S.No., Parameter, Standard

(iv) Sewage Treatment and Disposal :- The applicant shall provide comprehensive STP as is required with reference to influent quantity and quality. In case of stoppage of functioning of STP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately



Handwritten signature

Handwritten initials

024

Scanned with OKEN Scanner

(v) Treated sewage shall be reused in gardening as possible. The SIP shall be maintained continuously so as to achieve the quality of the treated sewage to the following standards.

S No.	Parameters	Standards
-------	------------	-----------

**3. Conditions under Air (Prevention and Control of Pollution) Act -1981 as amended :-**

i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards.

**Air Pollution Source Details**

S No.	Air Pollution Source	Type of fuel	Stack no	Control Device	Height of Stack
1	Dust emission during manual mining, transportation and loading/unloading of Sand.			Particulate Matter	water sprinkling system and Green Belt for controlling dust emission.

**Emission Quality Standards**

S.No.	Stack no	Parameters	Standards
1		Particulate Matter	Ambient Air Standard as per E(P) Act 1986.

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately

(ii) The unit will not use any type of restricted fuel.

iii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

Standards for Noise level in db(A) Leg	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time
	75	70	65	55	55	45	50	40

**4. Essential documents to be submitted by the Industry/Unit as Applicable :-**

(i) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.

(ii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.

5. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA



6. Units as to comply with the following specific & general conditions. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 will result in legal action under the aforesaid Acts and Rules.
7. In compliance to the G.O 1011/81-7-2021-09 (Wii)/2016 dated.13.10.2021 issued by Department of Environment, Forest and Climate Change, Uttar Pradesh. You are directed to develop Miyawaki Forest as per the SOP available at URL:-<http://www.npeep.in/TrainingSession.aspx> for ensuring timely compliance of this direction, you are hereby directed to submit a bank guarantee with minimum validity of one year of the amount equivalent to the sum of initial consent fees (Air and Water) or Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand Only) whichever is more, within 30 days from the date of issuance of this certificate. In case of non-compliance of this direction, your consent will be revoked by the Board.
8. If the unit uses the ground water and requires the permission from SGWA/CGWA for water abstraction then the industry will have to obtain No objection certificate for abstraction of ground water. It will be the responsibility of the industry to comply with the various conditions of the NOC obtained from the competent authority and submit to the Board, within 3 months time failing which CTO will be revoked.

#### General Conditions:-

1. The applicant shall get analysed the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UPPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. Treated Industrial waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.
4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.
5. The applicant shall maintain good house keeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof
6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP/ETP inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control systems.
7. The industry shall provide Inspection Book at the time of inspection to the Board's officials.
8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
11. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point
12. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.



1. The consent is valid for production capacity Sand- 140000 Cu meter/annum, by opencast and semi mechanized mining in 5.0 hectare leased area at Gata No. 03, Khand No.- 03, Village- Gogaon, Tehsil- Sadar, District-Mirzapur.
2. Mining unit shall comply with the conditions of Environmental Clearance issued by State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) vide EC Identification No. EC22B001UP125833 dated 05.12.2022, and submit its compliance report to UPPCB.
3. If the lease agreement expires prior to 31-12-2026, then the validity of this CTO shall stand expired simultaneously with the expiry of mining lease.
4. Mining shall be done as per EC issued by SEIAA and directions given by Mining Department/District Administration.
5. Unit shall develop and maintain green belt as per the conditions of Environmental Clearance.
6. Unit shall not withdrawal ground water for any industrial activity without obtaining necessary permission from UPGWA.
7. The domestic effluent shall be treated through septic tank/soak pit or provide mobile toilet facility. Industry shall maintain ZLD.
8. Unit shall make water sprinkling arrangement through Tankers for dust suppression at different sources of dust emission during mining, transportation, loading and unloading of Sand.
9. Unit should operate and maintain installed water sprinkler system effectively and continuously to achieve the standards prescribed under E(P) Rules, 1986.
10. Unit shall submit Ambient air monitoring reports of NABL accredited laboratory on quarterly basis to the Board
11. All trucks, tractors used in transportation of Sand shall be covered by canvas sheet to prevent dust emission.
12. Water will be sprayed after loading activity (if Sand collected could be dry condition)
13. The dust suppression measures like water spraying will be done on the haul roads and working areas.
14. Industry should comply with the provisions of Hazardous and Other waste (Management & Trans boundary Movement) Rules 2016.
15. Solid waste should be disposed in such manner, so that no water, air and soil pollution takes place.
16. Industry shall abide by directions given by Hon'ble Court, MoEF&CC, Central Pollution Control Board and UPPCB for protection and safe guard of environment from time to time.
17. Consent fees, if revised, shall be payable by industry from the date of its applicability.
18. Industry shall comply with the relevant provisions of Environmental Laws.
19. If closure order is issued by CPCB or UPPCB against the unit, then CTO issued earlier will remain suspended during the closure period and after ensuring the compliance and after revocation of closure order, the CTO will automatically be effective with additional conditions mentioned in the closure revocation order.

RAJENDRA  
SINGH

Digitally signed by RAJENDRA  
SINGH  
Date: 2022.12.29 19:02:13  
+05'30'

Chief Environmental Officer (circle-2)

Copy to:

Regional Officer, UPPCB, Sonbhadra with direction to send the compliance report of CTO conditions on quarterly basis.

RAJENDRA SINGH

Digitally signed by RAJENDRA  
SINGH  
Date: 2022.12.29 19:02:35 +05'30'

Chief Environmental Officer (circle-2)



Scanned with OKEN Scanner



Scanned with OKEN Scanner

592

## कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक 2/12- /मीरजापुर/33 दिनांक, मीरजापुर नवम्बर 22 2017।

श्रीमान्,

खान अधिकारी  
मीरजापुर।

विषय- वन अनापत्ति उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ- आपका पत्रांक-1214/खनिज/ब030/2017 दिनांक 22.11.2017।

महोदय,

विषयक के सम्बन्ध में संदर्भित पत्र के माध्यम से इस कार्यालय के पत्रांक-2636/मी0/37 दिनांक 01.05.2017 द्वारा गंगा नदी साधारण बालू के रिक्त क्षेत्रों हेतु ई-टेंडरिंग के लिए अल्प अवधि हेतु खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किए जाने हेतु निर्गत वन अनापत्ति का उल्लेख करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दीर्घ कालीन परिहार स्वीकृत किए जाने हेतु वन अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराया है कि आपके कार्यालय पत्र 93/खनिज/ब030/2017 दिनांक 26.04.2017 एवं पत्रांक-108/खनिज/ब030/2017 दिनांक 01.03.2017 के अनुपालन में उल्लिखित रिक्त क्षेत्रों का आप द्वारा दिनांक 27.04.2017 को गठित समिति के सदस्यों, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), उप प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर एवं स्थानीय अधिकारी, मीरजापुर द्वारा साधारण बालू के रिक्त क्षेत्रों का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 28.04.2017 एवं दिनांक 29.04.2017 को हुई। उनकी निरीक्षण आश्चर्य के आधार पर इस कार्यालय के पत्रांक- 3636/मी0/37, दिनांक 01.05.2017 द्वारा ई-टेंडरिंग के माध्यम से अल्प अवधि के लिए खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किए जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए गए हैं। आपको उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा 34 क्षेत्रों की सूची संलग्न कर उल्लिखित क्षेत्रों में दीर्घकालीन परिहार स्वीकृत किए जाने हेतु वन अनापत्ति की अपेक्षा की गई है।

अतः समिति की निरीक्षण आख्या, पूर्व निर्गत अनापत्ति के आधार पर उल्लिखित क्षेत्र भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 व धारा-20 से आच्छादित न होने व वन क्षेत्र से 100.00 मी0 से अधिक दूर होने के आलोक में उल्लिखित क्षेत्रों में दीर्घकालीन परिहार स्वीकृत किए जाने हेतु निम्न प्रकार वन अनापत्ति प्रमाण पत्र उल्लिखित शर्तों के अधीन निर्गत की जाती है।

क्र0सं0	उपखनिज का नाम	नदी का नाम	क्षेत्र का विवरण			क्षेत्रफल
			तहसील	ग्राम	गाटा सं0/खण्ड सं0/जोन सं0	
1	2	3	4	5	6	7
1	साधारण बालू	गंगा नदी	सदर	गोगांव	3 मि0/1	5.00
2	साधारण बालू	गंगा नदी	सदर	गोगांव	3 मि0/2	5.00
3	साधारण बालू	गंगा नदी	सदर	गोगांव	3 मि0/3	5.00
4	साधारण बालू	गंगा नदी	सदर	गोगांव	3 मि0/4	5.00
5	साधारण बालू	गंगा नदी	सदर	छेरा	9 प/1	5.00
6	साधारण बालू	गंगा नदी	सदर	छेरा	9 प/2	5.00
7	साधारण बालू	गंगा नदी	सदर	छेरा	9 प/3	5.00
8	साधारण बालू	गंगा नदी	सदर	छेरा	9 प/4	5.00
9	साधारण बालू	गंगा नदी	सदर	छेरा	9 प/5	5.00
10	साधारण बालू	गंगा नदी	सदर	नादिनी	2/1	5.00
11	साधारण बालू	गंगा नदी	सदर	नादिनी	2/2	5.00
12	साधारण बालू	गंगा नदी	सदर	नादिनी	2/3	5.00
13	साधारण बालू	गंगा नदी	सदर	नादिनी	2/4	5.00
14	साधारण बालू	गंगा नदी	सदर	नादिनी	2/5	5.00
15	साधारण बालू	गंगा नदी	सदर	गहिया	592/1	5.00
16	साधारण बालू	गंगा नदी	सदर	गहिया	592/2	5.00
17	साधारण बालू	गंगा नदी	सदर	कमासिन	652/1	5.00
18	साधारण बालू	गंगा नदी	सदर	कमासिन	652/2	5.00
19	साधारण बालू	गंगा नदी	सदर	बेसुकिया	494 ग/1	5.00
20	साधारण बालू	गंगा नदी	सदर	बेसुकिया	494 ग/2	5.00
21	साधारण बालू	गंगा नदी	सदर	बेसुकिया	494 ग/3	5.00
22	साधारण बालू	गंगा नदी	सदर	बेसुकिया	494 ग/4	5.00
23	साधारण बालू	गंगा नदी	सदर	बेसुकिया	494 ग/5	5.00
24	साधारण बालू	गंगा नदी	सदर	धमरदेवा	139/1	3.25
25	साधारण बालू	गंगा नदी	सदर	धमरदेवा	139/2	5.00

D/Current File/ N.O.C Khanan

21



024

*(Handwritten signatures and initials)*

26	साधारण बालू	गंगा नदी	सादर	घमरदेवा	139/3	5.00
27	साधारण बालू	गंगा नदी	सादर	छटहौं	16/1	3.45
28	साधारण बालू	गंगा नदी	सादर	सामनगर सिफरी	1594/1	5.00
29	साधारण बालू	गंगा नदी	घुनार	मझराकला	105/1	5.00
30	साधारण बालू	गंगा नदी	घुनार	मझराकला	105/2	5.00
31	साधारण बालू	गंगा नदी	घुनार	बरास्तापुर	140/1	4.00
32	साधारण बालू	गंगा नदी	घुनार	बरास्तापुर	140/2	5.00
33	साधारण बालू	गंगा नदी	घुनार	बरास्तापुर	140/3	5.00
34	साधारण बालू	गंगा नदी	घुनार	बरास्तापुर	140/4	4.00

शर्त

- 1- खनन हेतु लीज स्वीकृति से पूर्व लीज स्थल की सीमाबन्दी कर ली जाय।
- 2- लीज स्थल पर लीज होल्डर का बोर्ड लगवाया जाय। जिसमें लीज होल्डर का नाम, पता एवं लीज का रकबा व अवधि स्पष्ट रूप से लिखा हो।
- 3- लीज होल्डर स्वीकृति स्थल पर ही खनन करेगा।
- 4- लीज होल्डर लीज के आस-पास वन क्षेत्र में अवैध खनन नहीं करेगा। लीज के आस-पास अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध खनन करने की सूचना सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी को देगा।
- 5- वन मार्ग का उपयोग उप खनिज परिवहन में नहीं करेगा।
- 6- अपने रवन्ने का प्रयोग लीज के माल की निकासी हेतु ही करेगा तथा रगना दूसरे व्यक्ति को नहीं देगा।
- 7- वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 एवं इसके उपरान्त माननीय न्यायालय के अन्य आदेशों का उल्लंघन लीज स्वीकृत करने से न होने पाये।
- 8- पट्टा धारक द्वारा नदी की जल सीमा से बाहर 100 मीटर छोड़ते हुए सतर्कता के साथ खनन एवं परिग्रहण किया जायेगा। जिससे जलीय जीव-कछुवा, भगरमच्छ आदि के प्राकृतिक वास नष्ट न हो।
- 9- माह-जुलाई, अगस्त, सितम्बर में बालू खनन कार्य बन्द रखा जाय।
- 10- अनापत्ति प्रमाण पत्र संवधित विवरण के अनुसार दिये गये क्षेत्रफल व गाटाओं के लिए है। इससे इतर किये गये खनन को अवैध खनन की श्रेणी में माना जायेगा।
- 11- स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य करते हुए स्थल पर मौजूद वृक्षों को यथावत रहने दिया जायेगा तथा वृक्षों का पालन नहीं किया जायेगा।
- 12- खनन स्थल के आस-पास स्थित वृक्षों तथा वन्य जीवों को कोई हानि नहीं पहुँचायी जायेगी।
- 13- यदि खनन स्थल नदी क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है तब नदी का बहाव परिवर्तन होने के कारण परिवर्तन स्थल से खनन हेतु पुनः अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।
- 14- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि खनन हेतु पट्टा किसी ऐसे व्यक्ति को न स्वीकृत किया जाय जिसके विरुद्ध पूर्व में वन अपराध दर्ज हो या जिसका अपराधिक इतिहास हो।

उपरोक्त शर्तों का अनुपालन लीज होल्डर द्वारा किया जाना है। अतः लीज होल्डर से इस आशय का शपथ पत्र लीज स्वीकृत से पूर्व प्राप्त कर लिया जाय।

भवदीय  
(राकेश चौधरी)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
मीरजापुर, वन प्रभाग मीरजापुर

संख्या- अ/समदिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।
1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
  2. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
  3. क्षेत्रीय वनाधिकारी, लालगंज, मीरजापुर, विण्डमफाल एवं चुनार रेंज।

(राकेश चौधरी)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
मीरजापुर, वन प्रभाग मीरजापुर




रतानठाधीमरी  
मीरजापुर।


महोदय,

उपरोक्त शासन: जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 के पत्र सं. 502/81-11-20/पि 23-6-2020 द्वारा प्रेषित पत्र का शासन से प्राप्त सुदुर्भ पोषिका वर्ष 2019-2020 द्वारा प्रेषित सुदुर्भ का आवलोकन/परीक्षण किया गया. आवलोकन/परीक्षण पत्र सं. 502/81-4-20/पि 23-6-2020 का प्राप्त होता शासन के सुदुर्भ पोषिका में नसा जाया गया।

(आवका सेवा में सादर स्सामर्थ।)

  
02-11-24  
धनेषी धनिलेखापाल  
कलेक्ट्रेट, मीरजापुर

*mal* *R*



## कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर (खनिज अनुभाग)

पत्र सं- 7447/एम0एम0सी0-30/खनिज/2023-24

दिनांक 01/01/2024

### आदेश

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक चानिकी प्रभाग, प्रयागराज के पत्रांक सं० 2018/15-1 दिनांक 14.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 संख्या 346/81-4-2020-823/2008 टी0सी0 लखनऊ दिनांक 17.03.2020 द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1927 की धारा-18 की उपधारा (1) के अधीन श्री राज्य पाल महोदय द्वारा जनपद भदोही, प्रयागराज एवं मीरजापुर के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आवद्ध 30 कि०मी० लम्बाई में फँले क्षेत्र को कछुआ वन्य जीव विहार के रूप में स्थापित करने का घोषणा की गयी है।

### अनुसूची

जिला	नदी का नाम	कछुआ वन्यजीव विहार का क्षेत्र
प्रयागराज, भदोही और मीरजापुर	गंगा	गंगा नदी के दोनों तटों से सीमा बद्ध गंगा नदी के मुख्य धारा का 30 कि०मी० लम्बाई में फँला क्षेत्र
सीमाएं	पूरब (नदी का अधो-प्रवाह)	ग्राम-बारीपुर उपरहार, ज्ञानपुर, जिला भदोही की राजस्व सीमा न अक्षांश-25.273769 देशान्तर-82.287486
	पश्चिम (नदी का उर्ध्व प्रवाह)	ग्राम-कोठरी, भेजा, जिला प्रयागराज की राजस्व सीमा न अक्षांश-25.215000 देशान्तर-82.194814
	उत्तर	गंगा नदी का उत्तरी तट
	दक्षिण	गंगा नदी का दक्षिणी तट

उपरोक्त कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आवद्ध 30 कि०मी० लम्बाई में जनपद-मीरजापुर के तहसील सदर अन्तर्गत स्थित विभिन्न ग्रामों यथा मिश्रपुर, नगवासी, बल्लवरा कला, खैरा, गोगांव, बेहरा, देवारी मुगौरा, कारसी सरपाती, भौरूपुर सतलपत्ती, बसेवरा खुर्द, शजता अर्जीखेरा, चकचेहरा एवं चककौन की सीमायें गंगा नदी की सीमा से मिलती हैं।

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशानुसार वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-18 बी के तहत जनपद के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र हेतु कलेक्टर एवं उक्त वन्य जीव विहार को प्रभागीय जनाधिकारी, प्रयागराज के नियंत्रणाधीन रखने पर श्री राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका सं० 202/1995 (रिट पिटीशन सिविल) टी०एम० गाढावर्मन थिरूमलकपाद वनाम गृनियन आफ इण्डिया एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 03.06.2022 के बिन्दु सं० 44(सी) में दिनांक 09.02.2011 के गाइडलाइन्स के सम्यक अनुपालन एवं उक्त आदेश दिनांक 03.06.2022 के बिन्दु सं० 44(डी) में नेशनल पार्क व वन्य जीव सेन्चुरी में खनन कार्य को प्रतिबन्धित किया गया है। साथ ही उक्त आदेश के क्रम में वन्य जीव विहार, प्रयागराज की सीमा से बाहर कम से कम 01 कि०मी० की दूरी तक के क्षेत्र को ईको सेन्सिटिव जोन बनाया जाना है जो प्रक्रिया में है। मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ईको सेन्सिटिव जोन का निर्धारण न होने की दशा में 10 कि०मी० की परिधि को ईको सेन्सिटिव जोन माना जायेगा। उक्त वन्य जीव विहार में कछुआ व अन्य जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा नदी के दोनों तटों से आवद्ध 30 कि०मी० लम्बाई में फँले क्षेत्र में व इसी सीमा से बाहर कम से कम 10 कि०मी० की परिधि को (ईको सेन्सिटिव जोन) में

...2



बालू खनन हेतु कोई नवीन खनन पट्टा स्वीकृत न किये जाने तथा पूर्व में स्वीकृत बालू खनन पट्टों को तत्काल निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जाए।

अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज के पत्रांक सं० 2018/15-1 दिनांक 14.12.2023 तथा मा० सर्वोच्च न्यायालय के उत्तम आदेश व शन्दर्भित शासनादेश के अनुपालन में जनपद-मीरजापुर की तहसील सदर अन्तर्गत स्थित ग्राम मिश्रपुर, नगवारी, नरोवरा कला, खैरा, गोगाव, बेहरा, देवारी भुगौरा, काशी सरपाटी, भौरूपुर सतलपट्टी, नरोवरा खुर्द, वजता, अर्जीखैरा, चकवैहरा एवं चकवैन की सीमाये जो गंगा नदी की सीमा से मिलती है, में कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनो तटों से आबद्ध 30 कि०मी० लम्बाई क्षेत्र में व इसकी सीमा से बाहर कम से 10 कि०मी० तक (इंको सेन्सिटिव जोन) में साधारण बालू का खनन/परिवहन प्रतिवन्धित करते हुए ऐसे खनन क्षेत्र जो वर्तमान में खनन परिहार हेतु विज्ञापित/स्वीकृत/संचालित है, को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)

जिलाधिकारी,

मीरजापुर।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ।
- 3- मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी क्षेत्र उ०प्र०, प्रयागराज/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
- 4- मण्डलायुक्त, विद्याचल मण्डल, मीरजापुर।
- 5- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, खनिज भवन, लखनऊ।
- 6- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि जनपद मीरजापुर में कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनो तटों से आबद्ध 30 कि०मी० लम्बाई क्षेत्र में व इसकी सीमा से बाहर कम से 10 कि०मी० तक (इंको सेन्सिटिव जोन) में साधारण बालू का खनन/परिवहन न होने पाये, के दृष्टिगत सम्बन्धित को अपने स्तर से भी निर्देशित करें।
- 7- प्रभागीय वनाधिकारी, कँमूर वन्य जीव, वन प्रभाग, मीरजापुर को इस निर्देश से प्रेषित कि जनपद मीरजापुर में कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनो तटों से आबद्ध 30 कि०मी० लम्बाई क्षेत्र में व इसकी सीमा से बाहर कम से 10 कि०मी० तक (इंको सेन्सिटिव जोन) में साधारण बालू का खनन /परिवहन न हो।
- 8- प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर को इस निर्देश से प्रेषित कि जनपद मीरजापुर में कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनो तटों से आबद्ध 30 कि०मी० लम्बाई क्षेत्र में व इसकी सीमा से बाहर कम से 10 कि०मी० तक (इंको सेन्सिटिव जोन) में साधारण बालू का खनन /परिवहन न हो।

जिलाधिकारी,

मीरजापुर।



24